

कार्यपालक सारांश

<p>बजट आकलन की तुलना में कर संग्रहण में कमी</p>	<p>वर्ष 2010-11 में बजट आकलन की तुलना में बिक्री, व्यापार आदि कर पर कर/मूल्यवर्द्धित कर के संग्रहण में बजट आकलन की तुलना में 19.02 प्रतिशत की कमी हुई, जिसका कारण विभाग द्वारा किरारान तेल पर कर की दर में कमी, दूर संचार क्षेत्र में ऋणात्मक विकास के साथ-साथ सीमेंट, विद्युत सामग्री, तम्बाकू आदि जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति नहीं किया जाना, उहराया गया था।</p>
<p>विभाग द्वारा हमलों के पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए अवलोकनों से संबंधित काफी कम वसूली</p>	<p>वर्ष 2005-06 से 2009-10 के अवधि के दौरान हमलों ने बिक्री, व्यापार आदि कर पर कर/मूल्यवर्द्धित कर से संबंधित 2,594 मामलों में ₹ 2,337.63 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित कम आरोपण/आरोपण नहीं किए जाने, कम वसूली/वसूली नहीं किए जाने, अवनिर्धारण/राजस्व की हानि, गलत छूट, आवर्त का छिपाव, कर का गलत दर लगाया जाना, गलत संगणना इत्यादि इंगित किया। इनमें से विभाग/सरकार ने ₹ 1,554.28 करोड़ से सन्निहित 1,052 मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया। ₹ 1,554.28 करोड़ से सन्निहित स्वीकृत मामलों के विरुद्ध ₹ 1.99 करोड़ की नगण्य वसूली (0.13 प्रतिशत), सरकारी बकायों की वसूली में सरकार/विभाग की तत्परता में अभाव को संसूचित करता है।</p>
<p>आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किया जाना</p>	<p>वर्ष 2010-11 के दौरान वाणिज्यकर विभाग ने आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु एक भी ईकाई का चयन नहीं किया। यह आंतरिक नियंत्रण में कमजोरी को दर्शाता है, जिसके कारण कर निर्धारण प्राधिकारियों से भूल हुई जिसे हमारे लेखापरीक्षा किए जाने तक पता नहीं लगाया जा सका एवं तदन्तर राजस्व का काफी रिसाव हुआ।</p>
<p>वर्ष 2010-11 में हमलों द्वारा किए गए लेखापरीक्षा का परिणाम</p>	<p>वर्ष 2010-11 में हमलों ने वाणिज्यकर से संबंधित 48 ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा ₹ 1,638.83 करोड़ से सन्निहित 1,107 मामलों में कर के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को पाया। विभाग ने 136 मामलों में सन्निहित ₹ 57.98 करोड़ का अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिन्हें पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। वर्ष 2010-11 के दौरान 111 मामलों में ₹ 63.10 लाख की वसूली की गई।</p>
<p>इस अध्याय के हमारे मुख्याकर्षण</p>	<p>इस अध्याय में हमने 'अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा वाणिज्यकर विभाग के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाए गए अवलोकनों से चयनित कम आरोपण/आरोपण नहीं किए जाने, कम वसूली/वसूली नहीं किए जाने अवनिर्धारण आदि से संबंधित ₹ 863.17 करोड़ से सन्निहित कुछ दृष्टांतरूप मामलों को रखा है, जहाँ हमने पाया कि अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था।</p> <p>यह चिन्ता का विषय है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में पिछले कई वर्षों से निरंतर हम इन चूकों को इंगित करते रहे हैं परन्तु हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने तक विभाग ने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की।</p> <p>हमारा ध्यान इस पर भी है कि यद्यपि हमें उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से इस तरह का चूक स्पष्ट दृष्टिगोचर थे, कर निर्धारण प्राधिकारी इन गलतियों को पता लगाने में असमर्थ थे।</p>
<p>हमारा निष्कर्ष</p>	<p>विभाग को आंतरिक नियंत्रण तंत्र को उन्नत करने की आवश्यकता है, ताकि तंत्र में कमजोरियों का पता लगे तथा हमारे द्वारा बताये गए चूकों को भविष्य में टाला जाए।</p> <p>कम-से-कम स्वीकृत मामलों में सन्निहित राशि की वसूली हेतु उचित कदम उठाए जाने की भी आवश्यकता है।</p>

2.1.1 कर प्रशासन

राज्य में वाणिज्य करों¹ का संग्रहण, वित्त (वाणिज्यकर) विभाग द्वारा प्रशासित है, जिसके प्रमुख वाणिज्यकर आयुक्त होते हैं। वाणिज्यकर आयुक्त के कार्य सम्पादन में अन्वेषण ब्यूरो सहित मुख्यालय स्तर पर पाँच अपर आयुक्त, तीन वाणिज्यकर संयुक्त आयुक्त, दस वाणिज्यकर उपायुक्त/वाणिज्यकर सहायक आयुक्त एवं पाँच वाणिज्यकर पदाधिकारी सहयोग करते हैं। क्षेत्र स्तर पर राज्य को नौ² प्रशासनिक प्रमंडलों, सात³ अपीलीय प्रमंडलों एवं चार⁴ लेखापरीक्षा प्रमंडलों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक के प्रधान वाणिज्यकर संयुक्त आयुक्त होते हैं। नौ प्रशासनिक प्रमंडलों को पुनः 49 अंचलों में विभाजित किया गया है जिसके प्रधान वाणिज्यकर उपायुक्त/वाणिज्यकर सहायक आयुक्त होते हैं जिनकी सहायता वाणिज्यकर पदाधिकारी करते हैं। अंचल, विभाग का मूलभूत केन्द्र है।

2.1.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

2.1.2.1 बिक्री, व्यापार आदि पर कर/ मूल्यवर्द्धित कर

वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान बजट आकलन तथा बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियों के साथ-साथ उसी अवधि के दौरान कुल कर प्राप्तियों के बीच भिन्नता नीचे दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता वृद्धि (+) / घटा (-)	भिन्नता की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक बिक्री कर/मूल्यवर्द्धित कर प्राप्तियों की प्रतिशतता
2006-07	2,364.67	2,081.49	(-) 283.18	(-) 11.98	4,033.08	51.61
2007-08	2,879.93	2,534.80	(-) 345.13	(-) 11.98	5,085.53	49.84
2008-09	2,937.72	3,016.47	(+) 78.75	(+) 2.68	6,172.74	48.87
2009-10	3,948.03	3,839.29	(-) 108.74	(-) 2.75	8,089.67	47.46
2010-11	5,627.69	4,557.18	(-) 1,070.51	(-) 19.02	9,869.85	46.17

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक की अवधि के दौरान यद्यपि बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर के अर्न्तगत प्राप्तियों में वृद्धि हुई, राज्य की कुल कर प्राप्ति की तुलना में इसी अवधि के दौरान इन प्राप्तियों की प्रतिशतता में लगातार कमी हुई।

वर्ष 2010-11 के दौरान बजट आकलन तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता का कारण किरासन तेल पर कर की दर में कमी, दूरसंचार क्षेत्र में ऋणात्मक विकास के साथ-साथ कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे सिमेंट, विद्युत सामग्री, तम्बाकू आदि में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने को उहराया गया।


¹ वाणिज्यकर में बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर, प्रवेश कर, विद्युत शुल्क तथा मनोरंजन कर शामिल है।

² भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना पूर्वी, पटना पश्चिमी, पूर्णियाँ, सारण एवं तिरहुत।


³ भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना, पूर्णियाँ एवं तिरहुत।

⁴ भागलपुर, मगध, पटना एवं तिरहुत।

बजट आकलन तथा कुल कर प्राप्तियों के साथ-साथ प्राप्तियों की प्रवृत्ति निम्न बार डायग्राम में दिया गया है:



वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य की कुल कर प्राप्तियों (₹ 9,869.85 करोड़) में बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर प्राप्तियों का योगदान निम्न चार्ट दर्शाता है:



2.1.2.2 प्रवेश कर


वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान बजट आकलन तथा प्रवेश कर से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियों के साथ-साथ उसी अवधि के दौरान कुल कर प्राप्तियों के बीच भिन्नता निम्न तालिका में दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)


वर्ष	बजट आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता	भिन्नता की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक प्रवेश कर प्राप्तियों की प्रतिशतता
2006-07	603.64	783.01	179.37	29.71	4,033.08	19.41
2007-08	381.33	937.87	556.54	145.95	5,085.53	18.44
2008-09	825.00	1,279.41	454.41	55.08	6,172.74	20.73
2009-10	1,270.00	1,613.16	343.16	27.02	8,089.67	19.94
2010-11	1,623.76	2,006.32	382.56	21.13	9,869.85	20.33

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान बजट आकलन के विरुद्ध वास्तविक प्राप्तियों में कोई समरूपता नहीं थी।

बजट आकलन तथा कुल कर प्राप्तियों के साथ-साथ प्राप्तियों की प्रवृत्ति निम्न बार डायग्राम में दिया गया है:



वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य की कुल कर प्राप्तियों (₹ 9,869.85 करोड़) में प्रवेश कर प्राप्तियों का योगदान निम्न चार्ट दर्शाता है:



2.1.3 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2011 को वाणिज्यकर से संबंधित राजस्व के बकाये ₹ 941.61 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 428.09 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाये थे। निम्न तालिका वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान राजस्व के बकायों की स्थिति को दर्शाता है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकायों का प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान संग्रहित राशि	बकायों का अंत शेष
2006-07	916.01	212.21	994.17
2007-08	994.17	196.01	963.83
2008-09	963.83	168.66	1,007.25
2009-10	1,007.25	112.15	1,358.78
2010-11	1,358.78	546.24	941.61

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि वाणिज्यकर से संबंधित राजस्व के बकायों के संग्रहण में वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में लगातार गिरावट हुई जबकि वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2010-11 के दौरान संग्रहण में महत्वपूर्ण वृद्धि (387 प्रतिशत) हुई जिसे आगे की वर्षों में बनाये रखने की आवश्यकता है।

2.1.4 संग्रहण की लागत

वाणिज्यकर⁵ से संबंधित राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रहण, उस संग्रहण पर किया गया व्यय तथा वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान सकल संग्रहण पर ऐसे व्यय की प्रतिशतता के साथ-साथ संबंधित विगत वर्षों के लिए सकल संग्रहण पर व्यय से संबंधित अखिल भारतीय औसत की प्रतिशतता नीचे दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	विगत वर्ष के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
2008-09	4,377.92	46.67	1.07	0.83
2009-10	5,541.00	48.84	0.88	0.88
2010-11	6,653.37	57.23	0.86	0.96

उपर्युक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2010-11 के दौरान वाणिज्यकर से संबंधित राजस्व प्राप्तियों के सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता पूर्व वर्ष के अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से कम था। आगे की वर्षों में इसे बनाये रखने की आवश्यकता है।

2.1.5 निर्धारिती की विवरणिका

जैसाकि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया, 31 मार्च 2011 को राज्य में निर्बंधित व्यवसायियों की कुल संख्या 2,04,573 थी, जिसमें से 94,995⁶ व्यवसायी करदाता थे।

⁵ वाणिज्यकर विभाग द्वारा सकल संग्रहण में बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर, प्रवेश कर, विद्युत शुल्क तथा अन्य कर एवं वस्तुओं एवं सेवाओं पर शुल्क शामिल है।

⁶ ₹ 10,000 से अधिक भुगतान करनेवाले व्यवसायियों की संख्या-24,387 (बड़े कर दाता)
₹ 10,000 तक भुगतान करनेवाले व्यवसायियों की संख्या-70,608 (छोटे कर दाता)

शेष 1,09,578 व्यवसायियों में से 61,122 व्यवसायियों ने रिटर्न दाखिल नहीं किये थे जिनके विरुद्ध विभाग द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 24(8) के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।

2.1.6 संग्रहण का विश्लेषण

वर्ष 2010-11 की अवधि के दौरान कर निर्धारण से पूर्व तथा नियमित कर निर्धारण के बाद बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर के कुल संग्रहण का ब्योरा तथा वित्त (वाणिज्यकर) विभाग द्वारा दिए गए विगत चार वर्षों के तदनुसूची आँकड़े नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर निर्धारण के पूर्व संग्रहित राशि	नियमित कर निर्धारण के बाद संग्रहित राशि	कर एवं शुल्क के भुगतान में विलम्ब के लिए अर्धदण्ड	वापस की गई राशि	विभाग के अनुसार निबल संग्रहण	वित्त लेखे के अनुसार निबल संग्रहण	कॉलम 7 से 2 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
2006-07	2,002.62	81.25	2.81	11.96	2,071.92	2,081.49	96.21
2007-08	2,537.11	39.86	2.24	38.00	2,538.97	2,534.80	100.09
2008-09	3,049.18	54.22	1.04	38.92	3,065.52	3,016.47	101.08
2009-10	3,793.15	50.25	1.40	19.86	3,823.54	3,839.29	98.80
2010-11	4,564.98	25.81	2.24	10.80	4,590.79	4,557.18	100.17

कर निर्धारण से पूर्व किए गये संग्रहण की प्रतिशतता को बनाये रखने हेतु प्रयास किया जा सकता है।

2.1.7 लेखापरीक्षा का प्रभाव

राजस्व प्रभाव

वर्ष 2005-06 से 2009-10 की अवधि के दौरान हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर से संबंधित राजस्व का आरोपण नहीं/कम किए जाने, वसूली नहीं/कम होने, अवनिर्धारण/हानि, गलत छूट दिए जाने, आवर्त का छिपाव, कर का गलत दर लगाए जाने, गलत संगणना किए जाने इत्यादि के 2,594 मामले जिसमें ₹ 2,337.63 करोड़ शामिल थे, इंगित किए। इसमें से विभाग/सरकार ने ₹ 1,554.28 करोड़ से सन्निहित 1,052 मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया। हालाँकि वसूली मात्र ₹ 1.99 करोड़ थी, जैसाकि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखापरीक्षित ईकाइयों की संख्या	आपत्ति किए गए		स्वीकार किए गए		वसूल किए गए	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
2005-06	48	460	30.32	58	12.29	54	1.25
2006-07	40	365	62.82	76	2.12	शून्य	शून्य
2007-08	36	479	315.60	70	2.64	—	0.14
2008-09	41	408	665.33	42	616.26	15	0.08
2009-10 ⁷	36	882	1,263.56	806	920.97	110	0.52
कुल	201	2,594	2,337.63	1,052	1,554.28	179	1.99

⁷ वर्ष 2009-10 के आँकड़ों में प्रवेश कर से संबंधित आँकड़े भी शामिल हैं।

स्वीकृत मामलों में सन्निहित ₹ 1,554.28 करोड़ के विरुद्ध मात्र ₹ 1.99 करोड़ (0.13 प्रतिशत) की नगण्य वसूली किया जाना, सरकार/विभाग की ओर से सरकारी बकायों की वसूली में तत्परता का अभाव संसूचित करता है।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि सन्निहित राशि, कम से कम स्वीकृत मामलों में, की वसूली हेतु सरकार उचित कदम उठाये।

2.1.8 आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की कार्यप्रणाली

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रशासनिक विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जाता है। सामान्यतः वित्त (लेखापरीक्षा) के लेखापरीक्षा दल में तीन सदस्य होते हैं, जिसमें से एक दल का प्रमुख होता है। लेखापरीक्षा हेतु अधियाचना के मात्रा को ध्यान में रखते हुए मुख्यालय/प्रमंडलीय कार्यालयों से लेखापरीक्षा दल हेतु कर्मियों को लिया जाता है। हालाँकि वित्त विभाग ने लेखापरीक्षा की जाने वाली कार्यालयों की संख्या, लेखापरीक्षा की गई कार्यालयों की संख्या, निर्गत अवलोकनों की संख्या तथा सन्निहित राशि से संबंधित सूचनाएँ हमें उपलब्ध नहीं कराया। वित्त (वाणिज्यकर) विभाग में चार लेखापरीक्षा प्रमंडल हैं जो वाणिज्यकर आयुक्त द्वारा चयनित व्यवसायियों द्वारा संधारित लेखाओं के सही होने का पता लगाने के लिए उत्तरदायी हैं। वर्ष 2010-11 में विभाग ने आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु किसी भी इकाई का चयन नहीं किया।

2.1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2010-11 में हमने वाणिज्यकर से संबंधित 48 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा ₹ 1,638.83 करोड़ से सन्निहित 1,107 मामलों में करों का अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाया जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1	अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता (एक निष्पादन लेखापरीक्षा)	1	16.30
क : बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर			
2	कर का नहीं/कम आरोपण	107	44.74
3	आवर्त कर का छिपाव	210	648.69
4	इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक दावा	89	145.10
5	केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण	91	26.19
6	कर के रियायती दर की अनियमित अनुमति	53	380.90
7	कर का गलत दर लगाया जाना	82	43.14
8	आवर्त का गलत निर्धारण के कारण कर का कम आरोपण	12	16.08
9	कर के अधिक संग्रहण हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना/संगणना में भूल	7	9.75
10	कय कर का आरोपण नहीं किया जाना	10	0.25
11	अतिरिक्त कर एवं अधिभार का आरोपण नहीं/कम किया जाना	3	0.54
12	अन्य मामले	330	105.89
कुल		995	1,437.50

ख : प्रवेश कर			
1	आयातित मूल्य का छिपाव के कारण प्रवेश कर का नहीं/कम आरोपण	33	174.11
2	प्रवेश कर का गलत दर लगाया जाना	37	20.98
3	अन्य मामले	40	6.16
कुल		110	201.25
ग: मनोरंजन कर/विलासिता कर			
1	मनोरंजन कर का नहीं/कम आरोपण	2	0.01
कुल		2	0.01
कुल योग		1,107	1,638.83

वर्ष के दौरान विभाग ने 136 मामलों में ₹ 57.98 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया और 111 मामलों में ₹ 63.10 लाख की वसूली हुई जिसे पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान इंगित किए गए थे।

लेखापरीक्षा के कहने पर विभाग ने पटना विशेष अंचल के दो मामलों में ₹ 16.94 लाख की वसूली की।

₹ 16.30 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से संबंधित 'अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता' पर निष्पादन लेखापरीक्षा एवं दृष्टांतस्वरूप ₹ 846.87 करोड़ से सन्निहित कुछ मामले अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं।

2.2 अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता

मुख्य अंश

घोषणा प्रपत्रों का कमीशनरी से अंचलों को निर्गम किये जाने हेतु कोई विहित प्रणाली नहीं थी एवं प्रपत्रों के भंडार का भौतिक सत्यापन हेतु भी प्रावधान का अभाव था।

(कंडिका 2.2.8.1 एवं 2.2.9)

कर से छूट/रियायत की स्वीकृति से पूर्व घोषणा प्रपत्रों के उपयोग का टिनक्सिस (TINXSYS) वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं से जाँच करने का कोई प्रावधान नहीं था। पुनः संवीक्षा का प्रावधान भी रिटर्न में दिखलाये गये क्रय/प्राप्तियों के साथ घोषणा प्रपत्रों के उपयोग की जाँच करना विहित नहीं करता था।

(कंडिका 2.2.11 एवं 2.2.13)

वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान वाणिज्यकर विभाग के मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो स्कंध द्वारा कोई घोषणा प्रपत्र सत्यापन हेतु भेजा नहीं गया था, यद्यपि यह कार्य स्कंध को सौंपा गया था।

(कंडिका 2.2.12.2)

चार व्यवसायियों ने वर्ष 2006-10 की अवधि के दौरान अन्य राज्यों के व्यवसायियों द्वारा निर्गत सात जाली घोषणा प्रपत्रों के आधार पर ₹ 1.57 करोड़ की छूट/रियायत का लाभ लिया, जबकि ये घोषणा प्रपत्र उस राज्य के संबंधित अंचलों द्वारा निर्गत नहीं किये गये थे।

(कंडिका 2.2.14.1)

बारह व्यवसायियों ने वर्ष 2006-10 के दौरान 28 घोषणा प्रपत्रों के समर्थन पर ₹ 9.10 करोड़ की छूट/रियायत का लाभ लिया/स्वीकार किया गया। परन्तु तिर्यक जाँच से हमने पाया कि ये घोषणा प्रपत्र ₹ 5.30 करोड़ हेतु ही निर्गत किये गये थे। इस प्रकार ₹ 3.80 करोड़ की छूट अनियमित थी।

(कंडिका 2.2.14.2)

नौ व्यवसायियों ने वर्ष 2006-09 के दौरान राज्य के व्यवसायियों द्वारा निर्गत 26 घोषणा प्रपत्रों के आधार पर ₹ 9.34 करोड़ की छूट/रियायत का लाभ लिया, जबकि ये घोषणा प्रपत्र वास्तव में संबंधित अंचल अथवा व्यवसायी द्वारा दूसरे व्यवसायी को निर्गत किया गया था।


(कंडिका 2.2.14.3)

2.2.1 प्रस्तावना

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत निबंधित व्यवसायी, अन्तर्राज्यीय लेन-देन में प्रपत्र 'सी' एवं 'एफ' में विहित घोषणाओं के प्रस्तुतीकरण पर कर से कुछ रियायत एवं छूट लेने हेतु योग्य है। राज्य सरकार व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने हेतु व्यवसायियों को इन घोषणा प्रपत्रों के प्रस्तुतीकरण पर यह प्रोत्साहन देती है। वाणिज्यकर विभाग का यह उत्तरदायित्व है कि घोषणा प्रपत्रों का समुचित लेखांकन सुनिश्चित करे एवं घोषणा प्रपत्रों, जिसपर कर से राहत दिया गया है एवं जिनपर राजकोष का काफी राजस्व सन्निहित है, के दुरुपयोग के विरुद्ध पर्याप्त सावधानी रखे।

प्रपत्र 'सी'

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8(1) के तहत प्रत्येक व्यवसायी जो अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में एक निबंधित व्यवसायी को उस श्रेणी के वस्तुओं का विक्रय करता है जो क्रेता व्यवसायी के निबंधन प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट है, तब वह वैसे आवर्त पर चार प्रतिशत की रियायती दर (1 अप्रैल 2007 से घटकर तीन प्रतिशत एवं 1 जून 2008 से दो प्रतिशत) पर कर का भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा, बशर्ते ऐसी बिक्री प्रपत्र 'सी' में घोषणा से समर्थित हो।



प्रपत्र 'एफ'

समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 6 (ए) के अन्तर्गत एक निबंधित व्यवसायी द्वारा बिक्री से इतर राज्य के बाहर अपने व्यवसाय के अन्य स्थान पर अथवा अन्य राज्य में अपने एजेंट या प्रधान को किये जाने वाले मालों का अंतरण कर मुक्त है, बशर्ते ऐसे वस्तुओं के निर्गमन के साक्ष्य के साथ-साथ व्यवसाय के अन्य स्थान के मुख्य अधिकारी अथवा उसके एजेंट या प्रधान, जैसा मामला हो, द्वारा भरा गया एवं हस्ताक्षरित प्रपत्र 'एफ' में घोषणा प्रस्तुत किया जाय। प्रपत्र 'एफ' में घोषणा दाखिल किया जाना मई 2002 तक अनिवार्य नहीं था। हालाँकि अधिनियम, निर्धारण प्राधिकारी हेतु यह प्रावधित करता है कि अंतरण की वास्तविकता, जैसे विक्रय पट्टी, निर्गमन के ब्योरे, परिवहन विपत्र इत्यादि, पर अपनी संतुष्टि हेतु जैसा आवश्यक समझे, पृच्छताछ कर सकते हैं।

आयुक्त होते हैं जिनकी सहायता वाणिज्यकर पदाधिकारी करते हैं। अंचल, विभाग का मूलभूत केन्द्र है।

2.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु की गई थी कि क्या:

- घोषणा प्रपत्रों की अभिरक्षा एवं निर्गमन हेतु एक सुस्पष्ट तंत्र विद्यमान है;
- करों की चोरी को रोकने हेतु घोषणा प्रपत्रों की प्रमाणिकता को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र है;
- जाली, अवैध एवं त्रुटिपूर्ण (बिना समुचित विवरण अथवा अपूर्ण विवरण) घोषणा प्रपत्रों की प्राप्ति अथवा पता लगने पर उपयुक्त कदम उठाए गए हैं;
- निर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए गए कर पर छूट/रियायत वैध/मूल घोषणा प्रपत्रों द्वारा समर्थित थे;
- टिनक्स वेबसाइट पर विवरणों को अपलोड करने का तंत्र है तथा उसपर उपलब्ध आँकड़ों को घोषणा प्रपत्रों की सत्यता की जाँच करने हेतु उपयोग किया जा रहा है; एवं
- राजस्व के रिसाव को रोकने हेतु प्रभावकारी एवं पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है।

2.2.4 लेखापरीक्षा के मानदंड

निम्नलिखित अधिनियमों एवं नियमावली के तहत बने प्रावधानों के संदर्भ में निष्पादन लेखापरीक्षा की गई:

- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956;
- केन्द्रीय बिक्री कर नियमावली, 1957;
- केन्द्रीय बिक्री कर (बिहार) नियमावली, 1957;
- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005;
- बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005;
- बिहार वित्त अधिनियम, 1981;
- बिहार वित्तीय नियमावली एवं
- समय-समय पर निर्गत कार्यपालक एवं विभागीय आदेश।

2.2.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यपद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा में 14¹¹ वाणिज्यकर अंचलों को लिया गया जिनके अभिलेखों की जाँच नवम्बर 2010 एवं जनवरी 2011 के बीच की गई, जिनमें 2007-08 से 2009-10 की अवधि के दौरान स्व-कर निर्धारण/कर निर्धारण पूर्ण किए गए मामले शामिल हैं। अभिलेखों की जाँच केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत सी/एफ प्रपत्रों के उपयोग से छूट/रियायत दिए जाने/लाभ लिये जाने तक सीमित था। हमने नमूना जाँच हेतु 1,089 अभिलेखों की माँग की। यद्यपि कर निर्धारण प्राधिकारियों ने संवीक्षा हेतु 724 कर

¹¹ बाढ़, बेगुसराय, कदमकुआँ, खगड़िया, किशनगंज, मुंगेर, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्र, पटना केन्द्रीय, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, पटना पश्चिमी, समस्तीपुर, एवं सीतामढ़ी।

निर्धारण अभिलेख उपलब्ध कराये एवं 135 कर निर्धारण अभिलेखों में हमने पाया कि व्यवसायियों को उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये घोषणा प्रपत्रों के विरुद्ध कर में रियायत/छूट की स्वीकृति दी गई थी। इन कर निर्धारण अभिलेखों से हमने 30 अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा निर्गत 1,839 'सी' एवं 2,459 'एफ' प्रपत्रों के विवरण का संग्रह किया, जिसके विरुद्ध राज्य के व्यवसायियों ने संबंधित कर निर्धारण प्राधिकारियों के समक्ष इसे प्रस्तुत कर, कर में रियायत/छूट का लाभ लिया था। इन विवरणों को 30 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के कर निर्धारण प्राधिकारियों, जिन्होंने इन प्रपत्रों को निर्गत किया था, द्वारा संधारित अभिलेखों से तिर्यक जाँच हेतु उन संबंधित राज्यों को भेज दिया गया, ताकि उन प्रपत्रों की प्रामाणिकता के साथ-साथ वस्तुओं के मूल्य की सत्यता सुनिश्चित हो जाये। इसी प्रकार, 22¹² अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से 631 'सी' एवं 482 'एफ' प्रपत्रों का विवरण भी हमें प्राप्त हुये और इनका राज्य के 35 अंचलों के वाणिज्यकर उपायुक्त/वाणिज्यकर सहायक आयुक्त के अभिलेखों से तिर्यक जाँच किया। इसके अलावे, निष्पादन लेखापरीक्षा में अधिनियम के तहत पाँच अंचलों में पूर्ण किये गये कर निर्धारण/स्व-कर निर्धारण/संवीक्षा पर लेखापरीक्षा अवलोकनों को भी शामिल किया गया है, जिनका वर्ष 2010-11 के दौरान लेखापरीक्षा किया गया था।

निष्पादन लेखापरीक्षा से काफी प्रणालीय/अनुपालन त्रुटियाँ प्रकटित हुई, जिनकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

2.2.6 स्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचनाएँ एवं अभिलेख उपलब्ध कराने में वाणिज्यकर विभाग के सहयोग को स्वीकार करता है। नवम्बर 2010 में वाणिज्यकर आयुक्त-सह-सचिव के साथ एक आरंभिक सम्मेलन (इंड्री कन्फरेंस) की गई, जिसमें लेखापरीक्षा का उद्देश्य, क्षेत्र एवं लेखापरीक्षा की कार्य पद्धति की जानकारी सरकार/विभाग को दी गई। निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों को सितम्बर 2011 में सरकार एवं विभाग को उनके उत्तर हेतु अग्रसारित किया गया था। नवम्बर 2011 में वाणिज्यकर आयुक्त-सह-सचिव के साथ एक अंतिम सम्मेलन (एक्जिट कन्फरेंस) भी आयोजित की गई थी, जिसमें लेखापरीक्षा के परिणामों पर विचार-विमर्श किया गया था। उनके प्रत्युत्तर को संबंधित कंडिकाओं में अनुकूलतः शामिल कर लिया गया है।

2.2.7 केन्द्रीय बिक्री कर के अधीन राजस्व की प्रवृत्ति

वर्ष 2005-11 के दौरान बिहार मूल्यवर्द्धित कर के साथ-साथ केन्द्रीय बिक्री कर संग्रहण निम्नवत थे:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्त लेखे के अनुसार मूल्यवर्द्धित कर राजस्व	केन्द्रीय बिक्री कर का बजट आकलन	केन्द्रीय बिक्री कर संग्रहण	कॉलम 3 से कॉलम 4 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
2005-06	1,733.60	92.75	54.18	3.13
2006-07	2,081.49	89.61	70.05	3.37
2007-08	2,534.80	113.36	44.28	1.75

¹² आन्ध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल।

2008-09	3,016.47	40.00	37.05	1.23
2009-10	3,839.29	25.00	1,227.80 ¹³	31.98
2010-11	4,557.18	15.00	29.58	0.65

(श्रोत: आँकड़े, संबंधित वर्षों के वित्त लेख से ली गई है।)

इस प्रकार उपर्युक्त तालिका से यह साबित होता है कि वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान केन्द्रीय बिक्री कर संग्रहण में लगातार गिरावट हुई।

प्रणालीय त्रुटियाँ

2.2.8 घोषणा प्रपत्रों की छपाई एवं अभिरक्षा

अंचलों से उनकी आवश्यकताओं को सुनिश्चित किये जाने तथा निविदा प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात प्रपत्रों की छपाई निजी प्रेस में करायी जाती है। प्रेस से इन प्रपत्रों को कमीशनरी में प्राप्त किये जाते हैं और इस हेतु संधारित पंजी में दर्ज किए जाते हैं एवं निर्माण भवन कोषागार पटना के स्ट्रॉंग रूम में रख दिए जाते हैं। अंचलों एवं प्रमण्डलों को उनके आवश्यकतानुसार ये प्रपत्र निर्गत किए जाते हैं। अंचल स्तर पर इन प्रपत्रों को पुनः व्यवसायियों को वितरित किए जाने हेतु संबंधित जिला कोषागार में रखा जाता है।

2.2.8.1 भंडार का भौतिक सत्यापन

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 143 के अनुसार सभी भंडारों का भौतिक सत्यापन प्रत्येक वर्ष में कम-से-कम एक बार किया जाना है। पुनः नियम 144 प्रावधित करता है कि जहाँ भी ऐसे सत्यापन किए जाते हैं, सत्यापन का एक प्रमाणपत्र उसके परिणाम के साथ उस सूची, लेखा सूची, जैसा भी मामला हो, पर दिया जाना है।

विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं के अनुसार (नवम्बर 2011) विभागीय पदाधिकारियों द्वारा वर्ष 2007-08 से 2009-10 की अवधि के दौरान कमीशनरी स्तर पर प्रपत्रों के भंडार का कोई सत्यापन नहीं किया गया था।

घोषणा प्रपत्र 'सी' एवं 'एफ' की वर्षवार प्राप्ति एवं विवरण नीचे

दिये गये हैं:

(आँकड़े बॉक्स में¹⁴)

वर्ष	आरम्भिक शेष		प्राप्तियाँ		कुल		निर्गमन		अंत शेष	
	प्रपत्र 'सी'	प्रपत्र 'एफ'	प्रपत्र 'सी'	प्रपत्र 'एफ'	प्रपत्र 'सी'	प्रपत्र 'एफ'	प्रपत्र 'सी'	प्रपत्र 'एफ'	प्रपत्र 'सी'	प्रपत्र 'एफ'
2006-07	104	शून्य	शून्य	25	104	25	67	19	37	06
2007-08	37	06	75	25	112	31	25	06	87	25
2008-09	87	25	शून्य	शून्य	87	25	38	18	49	07
2009-10	49	07	75	25	124	32	45	18	79	14

2.2.9 घोषणा प्रपत्रों का निर्गमन

2.2.9.1 कमीशनरी में अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि विभाग ने घोषणा प्रपत्रों के निर्गमन हेतु कोई प्रणाली विहित नहीं किया था क्योंकि प्रपत्र कमीशनरी से अंचलों के साथ-साथ प्रमण्डलों को भी निर्गत किया गया था एवं यह भी देखा गया कि

¹³ यह लेखांकन में त्रुटि के कारण है। आवश्यक सुधार हेतु लेखांकन प्राधिकारी के साथ मामले को लिया जाएगा।

¹⁴ एक बक्से में 2000 प्रपत्र।

प्रपत्र एक अंचल से दूसरे अंचल को भी निर्गत किए गए थे। प्रपत्रों के निर्गमन हेतु अंचलवार अथवा प्रमण्डलवार कोई खाता संधारित नहीं था। प्रपत्र सीधे भंडार पंजी से ही निर्गत किए गए थे तथा एक अंचल से दूसरे अंचल को निर्गत प्रपत्रों की प्रविष्टियों का मिलान नहीं किया गया था।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद वाणिज्यकर आयुक्त ने एक्जिट कन्फरेंस में कहा कि प्रपत्रों के निर्गमन हेतु एक समुचित प्रणाली अपनायी जाएगी।

सरकार/विभाग, बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप सांविधिक प्रपत्रों के भौतिक सत्यापन को सुनिश्चित कर सकती है तथा घोषणा प्रपत्रों के वितरण हेतु एक प्रणाली विकसित करने पर विचार कर सकती है।

2.2.9.2 घोषणा प्रपत्रों की प्राप्ति एवं उपयोग के लेखाओं का संधारण

बिहार वित्तीय नियमावली में घोषणा प्रपत्रों की अभिरक्षा एवं उसकी उपयोगिता की लेखाओं के संधारण का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागीय प्राधिकारियों पर है। कर से छूट/रियायती दर पर कर का लाभ लेने हेतु अंचलों द्वारा घोषणा प्रपत्र निबंधित व्यवसायियों को निर्गत किया जाता है और फिर वे प्रपत्र में दिए गए प्रयोजन हेतु अपने निबंधन प्रमाण पत्र में शामिल वस्तुओं के क्रय/प्राप्ति के लिए घोषणा प्रपत्र दूसरे निबंधित व्यवसायी को निर्गत करते हैं। उपरोक्त घोषणा प्रपत्रों की प्राप्ति एवं निर्गमन पृथक भंडार पंजी में विभिन्न घोषणा प्रपत्रों की प्राप्ति एवं निर्गमन दर्शाते हुए अंचल कार्यालयों में लेखापित किया जाता है। प्राप्ति के साक्ष्य के रूप में व्यवसायी का हस्ताक्षर लेकर प्रपत्र निर्गत किया जाना है। प्रत्येक निबंधित व्यवसायी को, जिन्हे उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा कोई घोषणा प्रपत्र निर्गत किया जाता है, ऐसे प्रत्येक प्रपत्र का पूर्ण लेखा संधारित करना आवश्यक है। व्यवसायी को सक्षम प्राधिकारी के पास उपयोगिता विवरणी प्रस्तुत करना है, जिसमें उस व्यवसायी का नाम जिसे प्रपत्र निर्गत किया गया है, विपत्र संख्या एवं तिथि तथा मूल्य के साथ क्रय/प्राप्त किए गए वस्तुओं का विवरण दर्शाया गया हो। व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत माँग पत्र/उपयोगिता विवरणियों को इस हेतु संधारित पृथक फोल्डर में रखा जाना है। व्यवसायी को अंचल कार्यालय द्वारा नया घोषणा प्रपत्र तब तक निर्गत नहीं किया जाना है, जब तक कि उस व्यवसायी को पूर्व में निर्गत घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता का लेखा उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाए।

जनवरी 2006 में निर्गत अनुदेश के तहत अंचल कार्यालयों को अपेक्षित विवरणों को भरवाने के बाद ही व्यवसायियों को प्रपत्र 'सी' निर्गत करना है। उन मामलों में, जहाँ व्यवसायियों द्वारा प्रपत्र 'सी' की माँग अग्रिम में की गई हो, प्रपत्र के सबसे ऊपर लाल स्याही से आकलित मूल्य दर्ज करने के पश्चात् ही प्रपत्र निर्गत किया जा सकता है।

हालाँकि, नवम्बर 2007 में विभाग द्वारा उपरोक्त विवरणों से संबंधित जनवरी 2006 के अनुदेश को वापस ले लिया गया तथा सादा प्रपत्र 'सी' निर्गत करने का नया अनुदेश जारी किया। इससे विपत्रों के दुरुपयोग के जोखिम की संभावना है, जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में शामिल तथ्यों से साबित है।

सरकार/विभाग, प्रपत्रों के दुरुपयोग को रोकने हेतु अपेक्षित विवरणों को भरने के बाद ही प्रपत्र निर्गत किए जाने पर विचार कर सकती है।

2.2.10 घोषणा प्रपत्रों की लेखांकन में भिन्नता

संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि घोषणा प्रपत्रों का उचित लेखांकन नहीं किया गया है, जैसाकि कमीशनरी से निर्गत घोषणा प्रपत्रों की संख्या तथा 10¹⁵ वाणिज्यकर अंचलों में उनकी प्राप्ति में अन्तर पाए जाने से प्रमाणित होता है, जो परिशिष्ट-III में विवर्णित है। निर्गत करने वाले तथा प्राप्तकर्ता प्राधिकारी के आँकड़ों का मिलान किया जाना अपेक्षित है।

पुनः हमने पाया कि चार वाणिज्यकर अंचलों ने घोषणा प्रपत्रों का लेखा उचित ढंग से संधारित नहीं किया था, क्योंकि घोषणा प्रपत्रों के अंतिम भंडार एवं आरंभिक भंडार के बीच विसंगतियाँ थी, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

अंचल का नाम	वर्ष	आरम्भिक भंडार	प्राप्ति	कुल	निर्गत	अंतिम भंडार	अभ्युक्तियाँ
भागलपुर (एफ प्रपत्र)	2006-07	4,596	—	4,596	3,793	798	अंतिम भंडार में पाँच प्रपत्र कम दर्शाया गया था।
जमुई (एफ प्रपत्र)	2006-07	1,667	—	1,667	1,325	367	अंतिम भंडार में 25 प्रपत्र अधिक दर्शाया गया था।
पटना दक्षिणी (सी प्रपत्र)	2006-07	2,165	12,000	14,165	4,916	9,249	पूर्ववर्ती वर्ष का अंतिम भंडार अगले वर्ष आरंभिक भंडार के रूप में नहीं लिया गया।
	2007-08	7,257	—	7,257	4,827	2,430	
	2008-09	2,426	4,000	6,426	4,067	2,359	
	2009-10	1,738	14,000	15,738	4,632	1,106	
समस्तीपुर (एफ प्रपत्र)	2006-07	17	500	517	127	392	अंतिम भंडार में दो प्रपत्र अधिक दर्शाया गया था।

उपरोक्त तथ्यों से विभाग में, विशेष कर कमीशनरी से अंचल स्तर तक घोषणा प्रपत्रों के लेखाओं के संधारण में, आंतरिक नियंत्रण का अभाव संसूचित होता है। घोषणा प्रपत्रों के अनुचित लेखांकन से उसके दुरुपयोग के जोखिम की संभावना है, जिससे राजकोष के राजस्व की हानि होती है।

सरकार/विभाग, निर्गत तथा प्राप्त करने वाले प्राधिकारियों के बीच घोषणा प्रपत्रों का मिलान करने हेतु एक तंत्र विहित करने पर विचार कर सकती है। वह घोषणा प्रपत्रों के लेखाओं के संधारण में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को भी सुदृढ़ कर सकती है।

¹⁵ भागलपुर, दरभंगा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पटना सिटी पश्चिमी, पटना उत्तरी, पटना दक्षिणी, पटना पश्चिमी, शाहाबाद एवं सीतामढ़ी।

2.2.11 टिनक्सिस वेबसाइट पर डाले गए आँकड़ों का उपयोग नहीं किया जाना

भारत सरकार ने टैक्स इनफारमेशन एक्सचेंज सिस्टम (टिनक्सिस) नामक एक वेबसाइट को शुरू करने की पहल की, जिसे प्रभावशाली रूप से अन्तर्राज्यीय व्यापार के अनुश्रवण हेतु विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के वाणिज्यकर विभागों की सहायता के लिए प्रारूपित किया गया था। टिनक्सिस, पूरे भारत में फैले हुए सभी अन्तर्राज्यीय व्यवसायियों का एक केन्द्रीयकृत एक्सचेंज है तथा विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के बीच हो रहे अन्तर्राज्यीय लेन-देनों का एक कोष के रूप में राज्यों के वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति द्वारा बनाया गया है। टिनक्सिस का उपयोग किसी भी व्यवसायी द्वारा किसी दूसरे राज्य के प्रतिस्थानी अन्तर्राज्यीय व्यवसायी का सत्यापन करने हेतु किया जा सकता है। व्यवसायी सत्यापन के अलावे, वाणिज्यकर विभाग के कर्मचारी दूसरे राज्य के वाणिज्यकर विभागों द्वारा निर्गत तथा रियायत/छूट हेतु दावे के समर्थन में व्यवसायियों द्वारा दाखिल केन्द्रीय सांविधिक प्रपत्रों के सत्यापन हेतु टिनक्सिस का उपयोग कर सकते हैं।

हमलोगों ने पाया कि अन्य राज्यों¹⁶ से भेजे गए तिर्यक जाँच हेतु 631 'सी' प्रपत्रों एवं 482 'एफ' प्रपत्रों में से इस निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु 251 'सी' प्रपत्रों एवं 196 'एफ' प्रपत्रों को इस वेबसाइट पर नहीं डाला गया था।

पुनः, विभाग ने कर से छूट/रियायत की स्वीकृति से पूर्व टिनक्सिस वेबसाइट पर उपलब्ध डाटावेस के साथ व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों की जाँच हेतु एक तंत्र विहित नहीं किया था। इससे वेबसाइट के सृजन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ क्योंकि घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता की जाँच के लिए कर निर्धारण पदाधिकारी वेबसाइट का उपयोग नहीं कर रहे थे।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद वाणिज्यकर आयुक्त ने एकजट कन्फरेन्स में कहा कि कर छूट/रियायत की स्वीकृति से पूर्व टिनक्सिस पर उपलब्ध सूचनाओं के उपयोग हेतु सभी अंचलों को एक परिपत्र निर्गत किया जाएगा।

सरकार/विभाग, कर से छूट/रियायत की स्वीकृति से पूर्व राजस्व हित में टिनक्सिस वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग करने पर विचार कर सकती है।

2.2.12 प्रवर्तन कार्यवाही

2.2.12.1 व्यवसायियों को काली सूची में डालने हेतु प्रावधान का अभाव

विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं के अनुसार उन व्यवसायियों को, जो पूर्व में अवैध/जाली घोषणा प्रपत्रों का उपयोग करते पाए गए थे, उन्हें काली सूची में डाले जाने तथा वैसे व्यवसायियों का नाम विभिन्न इकाईयों एवं राज्यों के बीच परिचालन हेतु तंत्र विहित नहीं किया गया था। ऐसे प्रावधान के विद्यमान रहने से उन व्यवसायियों को, जो अवैध/जाली घोषणा प्रपत्रों का उपयोग करते हैं, हतोत्साहित कर सकती है।

¹⁶ आन्ध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं पश्चिम बंगाल।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद वाणिज्यकर आयुक्त ने एक्जिट कन्फरेन्स में तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि संदिग्ध व्यवसायियों को काली सूची में डालने का प्रावधान किया जाएगा।

सरकार, राजस्व के हित में उन व्यवसायियों को, जो अवैध/जाली घोषणा प्रपत्रों का उपयोग करते हैं, काली सूची में डाले जाने का तंत्र विहित करने पर विचार कर सकती है।

2.2.12.2 अन्वेषण ब्यूरो स्कंध का क्रियाकलाप

वाणिज्यकर आयुक्त के जून 1991 के आदेश के अनुसार मुख्यालय स्तर पर स्थित अन्वेषण ब्यूरो के अन्तर्गत एक सत्यापन कोषांग को घोषणा प्रपत्र 'सी' एवं 'एफ' के सत्यापन का कार्य सौंपा गया था। घोषणा प्रपत्रों से संबंधित सुसंगत सूचनाओं को अंचलों द्वारा मुख्यालय स्थित अन्वेषण ब्यूरो स्कंध में भेजा जाना था तथा इन प्रपत्रों के सूचनाओं को तिर्यक जाँच के परिणामों के साथ इस हेतु संधारित एक पंजी में दर्ज किया जाना था।

पुनः विभाग ने जनवरी 2006 में यह निदेश निर्गत किया कि व्यवसायी प्रपत्रों के उपयोगिता/माँग विवरणी तीन प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे। एक प्रति व्यवसायी के संबंधित फोल्डर में, दूसरी प्रति व्यवसायी के कर निर्धारण अभिलेख में रखा जाना था तथा तीसरी प्रति सत्यापन हेतु केन्द्रीयकृत अन्वेषण ब्यूरो स्कंध को भेज दिया जाना था।

मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो स्कंध द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं के अनुसार वर्ष 2006-10 के दौरान उनके द्वारा सत्यापन हेतु कोई भी घोषणा प्रपत्र भेजा नहीं गया था। इस प्रकार, जहाँ तक प्रपत्रों के सत्यापन का संबंध है, अन्वेषण ब्यूरो स्कंध के सृजन का उद्देश्य अपूर्ण रहा। हमलोगों ने यह भी पाया कि अंचलों द्वारा घोषणा प्रपत्रों को मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो स्कंध को भेजे जाने हेतु समयावधि एवं मात्रा विहित नहीं की गई थी। यह भी देखा गया कि न तो अंचलों द्वारा प्रपत्रों को मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो को भेजा गया था और न ही उन्होंने निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि में अंचलों से इसकी माँग की थी।

- अन्वेषण ब्यूरो स्कंध द्वारा उपलब्ध कराए गए

सूचनाओं के अनुसार वर्ष 2006-10 के दौरान उन्हें सत्यापन हेतु अन्य राज्यों से 5,522 'सी' प्रपत्र एवं 1,598 'एफ' प्रपत्र प्राप्त हुए थे। परन्तु मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो स्कंध द्वारा कोई भी प्रपत्र सत्यापित नहीं किया गया था और बदले में इन घोषणा प्रपत्रों को संबंधित अंचलों को इस निर्देश के साथ भेज दिया गया था कि इसका परिणाम अन्य राज्यों के संबंधित कार्यालयों को सीधे सूचित कर दिया जाए। यह दर्शाता है कि मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो स्कंध सिर्फ प्रपत्रों को अंचलों को अग्रसारित करने हेतु एक मध्यस्थ का कार्य कर रहा था।

- हमलोगों ने पुनः पाया कि वर्ष 1991 के उपरोक्त परिपत्र के अनुसार प्रपत्रों के सूचनाओं को दर्ज करने हेतु अन्वेषण ब्यूरो स्कंध द्वारा कोई पंजी का संधारण नहीं किया गया था।

इस प्रकार यह साबित होता है कि मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो स्कंध, घोषणा प्रपत्रों के सत्यापन के मामले में अप्रभावशील था।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद वाणिज्यकर आयुक्त ने एकजट कन्फरेन्स में कहा कि मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो को सुदृढ़ किया जाएगा, ताकि प्रपत्रों के सत्यापन के मामले में अपनी भूमिका निभा सके।

सरकार, मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो स्कंध को सुदृढ़ करने पर विचार कर सकती है, ताकि जाली/अप्रचलित/अवैध घोषणा प्रपत्रों अथवा गलत रूप से प्राप्त प्रपत्रों के उपयोग का तिर्यक जाँच के माध्यम से पता लगाया जा सके।

2.2.13 संवीक्षा का त्रुटिपूर्ण प्रावधान

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 के प्रावधान एवं उसके तहत बने नियमों के अन्तर्गत कर निर्धारण प्राधिकारी को व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत रिटर्न की संवीक्षा, उसमें विहित जाँच सूची के अनुसार नियत तिथि के समाप्त होने से पहले कर लेना है, ताकि वे सुनिश्चित हो जायें कि उसमें किए गए कटौती के दावे अधिनियम अथवा उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत विहित प्रपत्र द्वारा समर्थित है।

हमने पाया कि रिटर्न की संवीक्षा करने के समय घोषणा प्रपत्रों के उपयोगिता विवरणियों को जाँचने हेतु कोई तंत्र/जाँच सूची विहित नहीं है। इससे व्यवसायियों द्वारा घोषणा प्रपत्र 'सी' एवं 'एफ' के उपयोग से मंगाये गये वस्तुओं के नहीं/कम लेखांकन के जोखिम की संभावना है। कुछ उदाहरण अनुवर्ती कंडिकाओं में दिए गए हैं। यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बिहार मूल्यवर्द्धित कर

अधिनियम के तहत व्यवसायियों का नियमित/अनिवार्य कर निर्धारण करने का कोई प्रावधान नहीं है।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद वाणिज्यकर आयुक्त ने एकजट कन्फरेन्स में कहा कि क्रय/प्राप्तियों का तिर्यक जाँच प्रपत्रों के उपयोगिता प्रमाणपत्र के साथ किए जाने का प्रावधान बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम में संशोधन द्वारा शामिल किया जाएगा।

सरकार/विभाग, रिटर्न की संवीक्षा हेतु जाँच सूची में उपयोगिता विवरणी का सत्यापन किए जाने को शामिल करने पर विचार कर सकती है।

घोषणा प्रपत्रों की तिर्यक जाँच

2.2.14 छूट/रियायत

2.2.14.1 जाली घोषणा प्रपत्रों पर रियायत/छूट की अनियमित स्वीकृति

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8(2) के तहत प्रपत्र 'सी' में विहित घोषणा द्वारा समर्थित नहीं किए गए मालों के अन्तर्राज्यीय बिक्री (घोषित वस्तुओं को छोड़कर) पर 10 प्रतिशत अथवा राज्य में लागू दर, जो भी अधिक हो, की दर पर कर आरोपित किया जाएगा। हालाँकि यह प्रावधान 1 अप्रैल 2007 से संशोधित कर दिया गया था तथा संशोधित प्रावधान के अनुसार ऐसी स्थिति में इन वस्तुओं पर राज्य में लागू दर पर कर आरोपित किया जाएगा।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम (उपयुक्त सामान्य बिक्री कर कानून) की धारा 39(4) के तहत पूर्व में स्वीकार किए गए कर की राशि एवं अंतिम रूप से कर निर्धारित राशि के अन्तर पर उस तिथि से, जब से कर भुगतेय होगा, प्रत्येक कलेन्डर माह अथवा उसके किसी भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज आरोपित किए जाने का प्रावधान है। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, व्यवसायियों द्वारा घोषणा प्रपत्रों के दुरुपयोग हेतु साधारण कैद, जिसे छः माह तक विस्तारित किया जा सकता है, अथवा दंड के साथ या दोनों अथवा ऐसे कैद के बदले अर्थदण्ड आरोपित किया जाना प्रावधित करता है।

तीन¹⁷ अंचलों में हमने पाया कि चार व्यवसायियों ने वर्ष 2006-10 की अवधि के दौरान सात 'सी' एवं 'एफ' घोषणा प्रपत्रों के बल पर ₹ 1.57 करोड़ के छूट/रियायत का लाभ लिया/स्वीकृति दी गयी। परन्तु तिर्यक जाँच करने पर हमने पाया कि ये घोषणा प्रपत्र चार¹⁸ राज्यों के संबंधित अंचलों, जहाँ से वे निर्गत बतलाये गये थे, से निर्गत नहीं किए गए थे। इस प्रकार, यह साबित होता है कि जाली घोषणा प्रपत्रों के आधार पर व्यवसायियों ने रियायत/छूट का दावा किया/स्वीकृति दी गई, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत ₹ 4.15 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

2.2.14.2 घोषणा प्रपत्रों के आँकड़ों में परिवर्तन के कारण रियायत/छूट की अनियमित स्वीकृति

सात¹⁹ अंचलों में हमने पाया कि 12 व्यवसायियों ने वर्ष 2006-10 की अवधि के दौरान 28 'सी' एवं 'एफ' घोषणा प्रपत्रों के बल पर ₹ 9.10 करोड़ के छूट/रियायत का लाभ लिया/स्वीकृति दी गयी। परन्तु तिर्यक जाँच करने पर हमने पाया कि ये घोषणा प्रपत्र आठ²⁰ राज्यों के संबंधित अंचलों में प्रस्तुत किए गए उपयोगिता विवरणी के अनुसार मात्र ₹ 5.30 करोड़ हेतु ही निर्गत किए गए थे। इस प्रकार, यह साबित होता है कि इन घोषणा प्रपत्रों के आधार पर व्यवसायियों ने ₹ 3.80 करोड़ का अधिक रियायत/छूट का दावा किया/स्वीकृति दी गई। इस प्रकार छूट/रियायत के गलत दावे/स्वीकृति के फलस्वरूप ब्याज सहित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत ₹ 26.20 लाख के कर का कम आरोपण हुआ (परिशिष्ट-IV)।

¹⁷ किशनगंज, पाटलीपुत्रा एवं समस्तीपुर।

¹⁸ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश।

¹⁹ बेगुसराय, कदमकुआँ, किशनगंज, मुंगेर, पाटलीपुत्रा, पटना पश्चिमी एवं समस्तीपुर।

²⁰ छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल।

2.2.14.3 अन्य व्यवसायियों को निर्गत घोषणा प्रपत्रों पर रियायत/छूट की अनियमित स्वीकृति

पाँच²¹ अंचलों में हमने पाया कि नौ व्यवसायियों ने वर्ष 2006-09 की अवधि के दौरान 26 'सी' एवं 'एफ' घोषणा प्रपत्रों के बल पर ₹ 9.34 करोड़ के छूट/रियायत का लाभ लिया/स्वीकृति दी गयी। परन्तु तिर्यक जाँच करने पर हमने पाया कि ये घोषणा प्रपत्र या तो संबंधित अंचलों से उस राज्य के दूसरे व्यवसायी को निर्गत किए गए थे अथवा वे व्यवसायी जिन्हें अंचल द्वारा घोषणा प्रपत्र निर्गत किया गया था, ने इस घोषणा प्रपत्र को अपने उपयोगिता प्रमाणपत्र में किसी दूसरे व्यवसायी को निर्गत दर्शाया था। इस प्रकार यह साबित होता है कि गलत तरीके से हासिल किए गए घोषणा प्रपत्रों के आधार पर व्यवसायियों ने रियायत/छूट का दावा किया था/स्वीकृति दी गई थी। इस प्रकार इन घोषणा प्रपत्रों पर रियायत/छूट दिए जाने के फलस्वरूप ब्याज सहित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत ₹ 48.90 लाख के कर का कम आरोपण हुआ (परिशिष्ट-V)।

अगर मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो स्कंध द्वारा उपरोक्त मामलों को सत्यापन हेतु दूसरे राज्यों को भेजा गया होता, तब इन अनियमितताओं को ससमय पता लगाया जा सकता था।

2.2.14.4 अनिबंधित व्यवसायियों को बिक्री पर रियायत की अनियमित स्वीकृति

पटना विशेष वाणिज्यकर अंचल में अप्रैल 2010 में हमने पाया कि वर्ष 2007-08 के दौरान एक व्यवसायी (स्व-कर निर्धारित) ने चार व्यवसायियों को किये गये ₹ 55.58 लाख की वस्तुओं की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर तीन प्रतिशत की रियायती दर से छूट का दावा किया। चूंकि उन क्रेता व्यवसायियों का कर सूचकांक संख्या (टिन) अभिलेख की बिक्री सूची पर उपलब्ध नहीं था, वे व्यवसायी अनिबंधित समझे जायेंगे। इस प्रकार, उन अनिबंधित व्यवसायियों को बिक्रय किये गये वस्तुओं पर बिक्रेता व्यवसायी को छूट का लाभ नहीं लेना था। अतः व्यवसायी 12.5 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान हेतु उत्तरदायी था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.82 लाख के ब्याज सहित ₹ 7.10 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

मामले सरकार/विभाग को मई 2011 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2011)।

²¹ बाढ़, बेगुसराय, किशनगंज, पाटलीपुत्रा एवं समस्तीपुर।

2.2.15 छिपाव

2.2.15.1 अन्तर्राज्यीय बिक्री का छिपाव

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9 (2) के साथ पठित बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31(2) के प्रावधानों के तहत यदि निर्धारण प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत कर योग्य कोई आवर्त का अवनिर्धारण हुआ है/कर निर्धारण से वंचित रह गया है, तब वह चार वर्षों के अन्दर भुगतेय कर का निर्धारण अथवा पुनर्निर्धारण करेगा तथा कर एवं ब्याज के अलावे वंचित आवर्त पर भुगतेय कर के तीन गुणा के समतुल्य अर्थदण्ड आरोपित करेगा।

हमने पाया कि छः²² अंचलों में आठ व्यवसायियों ने वर्ष 2006-10 के दौरान ₹ 5.82 करोड़ के विभिन्न वस्तुओं का अन्तर्राज्यीय बिक्री दर्शाया था तथा इसके समर्थन में अन्य राज्यों के व्यवसायियों द्वारा निर्गत 15 घोषणा प्रपत्र 'सी' प्रस्तुत किया था। परन्तु पाँच²³ राज्यों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार इन घोषणा प्रपत्रों को ₹ 13.90 करोड़ के वस्तुओं के क्रय हेतु निर्गत दिखलाया गया

था। इस प्रकार, व्यवसायियों ने ₹ 8.08 करोड़ के अन्तर्राज्यीय बिक्री का छिपाव किया, जिसके फलस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड सहित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत ₹ 3.89 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ (परिशिष्ट-VI)।

2.2.15.2 घोषणा प्रपत्रों का अनाधिकृत उपयोग

- छः²⁴ राज्यों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार छः²⁵ अंचलों के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले नौ व्यवसायियों ने वर्ष 2004-09 की अवधि के दौरान 14 घोषणा प्रपत्रों का उपयोग कर अन्य राज्यों के व्यवसायियों से ₹ 1.47 करोड़ के विभिन्न वस्तुओं का क्रय/प्राप्त किया। परन्तु इन अंचलों में संधारित अभिलेखों से तिर्यक जाँच करने पर हमने पाया कि ये घोषणा प्रपत्र संबंधित अंचलों से निर्गत नहीं किए गए थे तथा कुछ व्यवसायी या तो अनिबंधित थे अथवा अस्तित्वविहिन थे। इस प्रकार, इन प्रपत्रों के आधार पर आयातित वस्तुओं का क्रय/प्राप्ति का लेखांकन नहीं किए जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.33 लाख के कर की चोरी हो सकती है। इसके अलावे, इन मामलों में ₹ 18.99 लाख का अर्थदण्ड भी आरोपित किया जा सकता था (परिशिष्ट-VII)।
- त्रिपुरा से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार भागलपुर अंचल में निबंधित एक व्यवसायी ने वर्ष 2008-09 के दौरान एक 'सी' घोषणा प्रपत्र का उपयोग करते हुए त्रिपुरा के एक व्यवसायी से ₹ 2.62 लाख का बोरा (गन्नी बैग) क्रय किया। परन्तु भागलपुर अंचल में संधारित अभिलेखों से तिर्यक जाँच करने पर हमने पाया कि उपरोक्त घोषणा प्रपत्र उस व्यवसायी को निर्गत नहीं दर्शाया गया था जिससे वस्तुओं का क्रय किया गया था। इस प्रकार, यह साबित होता है कि व्यवसायी ने क्रय का छिपाव किया था, जिसके फलस्वरूप अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 36,000 के कर की चोरी हुई।

²² कदमकुआँ, किशनगंज, मुंगेर, पाटलीपुत्रा, पटना पश्चिमी एवं समस्तीपुर।

²³ असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल।

²⁴ छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखण्ड, नागालैंड, राजस्थान एवं सिक्किम।

²⁵ औरंगाबाद, भागलपुर, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना दक्षिणी, सहरसा एवं सीवान।

2.2.15.3 घोषणा प्रपत्रों के उपयोग से आयातित वस्तुओं का कम लेखांकन/लेखांकन नहीं किया जाना

चार²⁶ राज्यों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार सात²⁷ अंचलों के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले आठ व्यवसायियों ने वर्ष 2004-10 की अवधि के दौरान 11 घोषणा प्रपत्रों का उपयोग कर अन्य राज्यों के व्यवसायियों से ₹ 1.01 करोड़ के विभिन्न वस्तुओं का क्रय किया। परन्तु इन अंचलों में संधारित अभिलेखों से तिर्यक जाँच करने पर हमने पाया कि इन घोषणा प्रपत्रों को व्यवसायियों द्वारा मात्र ₹ 67.20 लाख के वस्तुओं के क्रय/प्राप्ति हेतु निर्गत दिखलाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 34.27 लाख के वस्तुओं का कम लेखांकन/लेखांकन नहीं किया गया एवं आरोप्य अर्थदण्ड सहित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत ₹ 6.83 लाख के कर का कम आरोपण हुआ (परिशिष्ट -VIII)।

2.2.16 केन्द्रीय बिक्री कर का आरोपण नहीं किया जाना

केन्द्रीय बिक्री कर नियमावली के नियम 12(7) के प्रावधान के तहत रियायत/छूट के दावों को समर्थित करने हेतु उस अवधि, जिससे घोषणा संबंधित है, की समाप्ति के तीन माह के अंदर प्रपत्र 'सी' एवं 'एफ' में घोषणा विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करना है। वाणिज्यकर आयुक्त ने सभी कर निर्धारण पदाधिकारियों को यह निर्देश देते हुए परिपत्र निर्गत (अगस्त 2006) किया कि जहाँ भी व्यवसायी तीन माह के विहित समय के भीतर प्रपत्र 'सी' एवं 'एफ' में विहित घोषणा समर्पित नहीं करते हैं, तब ब्याज सहित कर का आरोपण किया जाना है।

पुनः, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8(2) के तहत प्रपत्र 'सी' में विहित घोषणा द्वारा समर्थित नहीं किए गए मालों के अन्तर्राज्यीय बिक्री (घोषित वस्तुओं को छोड़कर) पर 10 प्रतिशत अथवा राज्य में लागू दर, जो भी अधिक हो, की दर पर कर आरोपित किया जाएगा। हालाँकि यह प्रावधान 1 अप्रैल 2007 से संशोधित किया गया था और संशोधित प्रावधान के अनुसार ऐसी स्थिति में इन वस्तुओं पर राज्य में लागू दर पर कर आरोपित किया जाएगा।

अधिनियम के तहत ₹ 5.23 करोड़ के कर का आरोपण नहीं हुआ। यह वाणिज्यकर आयुक्त के उपरोक्त निदेश का उल्लंघन भी था। इसके अलावे, व्यवसायी ब्याज हेतु भी उत्तरदायी थे।

- हमने पाया कि सत्रह²⁸ अंचलों में 48 व्यवसायियों ने वर्ष 2006-10 की अवधि के दौरान प्रपत्र 'सी' एवं 'एफ' में विहित घोषणा द्वारा दावे को समर्थित किए बगैर ₹ 108.51 करोड़ मूल्य के विभिन्न वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय भंडार अंतरण/बिक्री के मद में छूट/रियायत का लाभ लिया। निर्धारण प्राधिकारियों को रिटर्न की संवीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु करना अपेक्षित था कि कटौतियाँ/रियायतें सुसंगत 'सी' एवं 'एफ' प्रपत्र द्वारा समर्थित था। परन्तु उन असमर्थित दावों को स्वीकार किए जाने में निर्धारण प्राधिकारियों की विफलता के फलस्वरूप केन्द्रीय बिक्री कर

²⁶ झारखण्ड, तमिलनाडु, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल।

²⁷ औरंगाबाद, भुसावळ, बेगूसराय, पटना विशेष, खगड़िया, शाहाबाद एवं तेघड़ा।

²⁸ बाढ़, बेगूसराय, कदमकुआँ, किशनगंज, मुंगेर, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना केन्द्रीय, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, पटना पश्चिमी एवं समस्तीपुर (निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु चयनित); फारबिसगंज, खगड़िया, पूर्णिया, रक्सौल, सासाराम एवं शाहाबाद (नियमित लेखापरीक्षा)।

- पाटलीपुत्रा अंचल में हमने पाया कि सात व्यवसायियों ने वर्ष 2007-09 की अवधि के दौरान प्रपत्र 'सी' एवं 'एफ' में विहित घोषणा द्वारा दावों को समर्थित किए बगैर ₹ 133.41 करोड़ मूल्य के विभिन्न वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय भंडार अंतरण/बिक्री पर छूट/रियायत का लाभ लिया। इन दावों को निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जाना था तथा उन मामलों में ₹ 6.24 करोड़ का कर आरोपण योग्य था, जैसाकि परिशिष्ट-IX में विवर्णित है।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर दिया कि तीन मामलों में व्यवसायी का पूरा दावा अस्वीकार कर ₹ 1.37 करोड़ का कर आरोपित किया गया था, जबकि दो अन्य मामलों में यह कहा गया कि व्यवसायी द्वारा बाद में सभी प्रपत्र प्रस्तुत कर दिया गया है, जिसे निर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था तथा दावों की स्वीकृति दे दी गई थी। शेष दो मामलों में प्रपत्रों की प्रस्तुति की सीमा तक ही दावों की स्वीकृति दी गई थी तथा प्रपत्रों हेतु ₹ 9.50 लाख की माँग सृजित की गई थी। समय सीमा के बाद प्रस्तुत किए गए प्रपत्रों के आधार पर दावों की स्वीकृति, केन्द्रीय बिक्री कर नियमावली के प्रावधान तथा साथ-ही-साथ वाणिज्यकर आयुक्त के निदेश के अनुरूप नहीं थे।

2.2.17 निष्कर्ष

निष्पादन लेखापरीक्षा से प्रकटित हुआ कि घोषणा प्रपत्रों के लेखांकन में विसंगतियाँ थी तथा घोषणा प्रपत्रों के कमीशनरी से अंचलों को निर्गत किए जाने हेतु कोई विहित प्रणाली भी नहीं थी। रिटर्न की संवीक्षा करते समय घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता की तिर्यक जाँच मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रावधित नहीं किया गया था। मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो को अन्तर्राज्यीय तिर्यक जाँच हेतु घोषणा प्रपत्रों की प्रतियाँ भेजने के लिए कोई समय सीमा एवं लक्ष्य अंचलों को विहित नहीं किया गया था। जहाँ तक घोषणा प्रपत्रों की तिर्यक जाँच का संबंध है, मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो पूरी तरह अक्रियाशील था। छूट/रियायत की स्वीकृति से पूर्व टिनक्सिस वेबसाईट पर उपलब्ध सूचनाओं से घोषणा प्रपत्रों को सत्यापित किए जाने का कोई तंत्र नहीं था। व्यवसायी, जो जाली/अवैध अथवा अप्रचलित घोषणा प्रपत्रों का उपयोग करते पाए गए थे, उन्हें काली सूची में डाले जाने का तंत्र विद्यमान नहीं था। कई मामलों में व्यवसायी या तो विहित समय सीमा के भीतर विहित घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत किए बगैर अथवा जाली/अवैध घोषणा प्रपत्रों के आधार पर रियायत/छूट का लाभ ले रहे थे।

2.2.18 अनुशंसाओं का सार

सरकार निम्नलिखित अनुशंसाओं को लागू करने का विचार कर सकती है:

- घोषणा प्रपत्रों के निर्गमन हेतु एक समुचित प्रणाली विहित कर सकती है;
- निश्चित प्रतिशतता तक घोषणा प्रपत्रों के तिर्यक जाँच का एक प्रणाली विकसित कर सकती है;
- आवधिक रिटर्न में दिखलाए गए क्रय/प्राप्तियों के साथ घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता की तिर्यक जाँच करने हेतु संवीक्षा के प्रावधानों के तहत जाँच सूची शामिल कर सकती है;
- छूट/रियायत स्वीकृत किए जाने से पूर्व टिनक्सिस वेबसाईट पर उपलब्ध सूचनाओं से घोषणा प्रपत्रों को सत्यापित किए जाने को अनिवार्य बना सकती है;

- मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो को सुदृढ़ कर सकती है, ताकि जाली/अप्रचलित/अवैध घोषणा प्रपत्रों अथवा गलत ढंग से प्राप्त किए गए प्रपत्रों के उपयोग को तिर्यक जाँच के माध्यम से पता लगाया जा सके; तथा
- उन व्यवसायियों को जो जाली/अप्रचलित/अवैध घोषणा प्रपत्र का उपयोग करते हैं उन्हें काली सूची में डाले जाने हेतु तंत्र विहित करने तथा अन्य राज्यों को एलर्ट करने पर विचार कर सकती है।

2.3 अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, बिहार स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर तथा उनके अधीन निर्मित नियमों के प्रावधानों में निम्न आरोपण एवं भुगतान आवश्यक है:

- व्यवसायियों द्वारा उचित दरों पर बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर तथा अधिभार आदि;
- अग्रिम में तथा विहित अवधि के अन्दर कर;
- बिक्री/क्रय का छिपाव के मामले में छोड़े गये आवर्त पर निर्धारित कर के तीन गुना दर पर अर्थदण्ड; तथा
- कर के विलम्ब से भुगतान के लिए 1.5 प्रतिशत के दर पर ब्याज।

अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप ₹ 846.87 करोड़ के कर का नहीं/कम आरोपण, कर का अवनिर्धारण, गलत छूट/कटौती इत्यादि से संबंधित कुछ मामले, जैसा कि कंडिकायें 2.4 से 2.24 में वर्णित हैं।

क : बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर

2.4 आवर्त का छिपाव

तेईस²⁹ वाणिज्यकर अंचल

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31(2) के अंतर्गत यदि निर्धारण प्राधिकारी यह संतुष्ट हो जाता है कि अधिनियम के तहत कर योग्य कोई आवर्त का अवनिर्धारण हुआ है/कर निर्धारण से वंचित रह गया है, तब वह चार वर्षों के अंदर भुगतेय कर का निर्धारण अथवा पुनर्निर्धारण करेगा तथा कर एवं ब्याज के अलावे वंचित आवर्त पर भुगतेय कर के तीन गुणा के समतुल्य अर्थदण्ड आरोपित करेगा।

हमलोगों ने पाया कि सरकार/विभाग ने रिटर्न की संवीक्षा करते समय रिटर्न में घोषित आवर्त का व्यवसायियों के अन्य अभिलेखों, जैसे रोड परमिट की उपयोगिता विवरणी, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ-साथ घोषणा प्रपत्रों अथवा अन्य व्यवसायियों के अभिलेखों से प्राप्त विक्रय एवं क्रय की सूचनाओं के साथ तिर्यक जाँच करने हेतु कोई तंत्र विहित नहीं किया था।

हमलोगों ने मार्च 2010 एवं मार्च 2011 के बीच पाया कि 50 व्यवसायियों (कर निर्धारित: 3, संवीक्षित: 3 तथा स्व-कर निर्धारित: 44) ने वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान ₹ 2,713.64 करोड़ का माल क्रय/विक्रय किया, जैसाकि उनके क्रय/विक्रय विवरणियों, रोड परमिट, घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता विवरणी एवं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में दर्शाया गया था। हालाँकि उनलोगों ने अपने रिटर्न इत्यादि में ₹ 2,099.35 करोड़ ही लेखापित किए थे एवं इस प्रकार ₹ 614.29 करोड़ के मालों के क्रय/विक्रय का छिपाव किया।

²⁹ आरा, बाढ़, बेगुसराय, दानापुर, दरभंगा, हाजीपुर, जहानाबाद, खगड़िया, लखीसराय, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी, नवादा, पाटलीपुत्रा, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना उत्तरी, पटना (दक्षिणी एवं कदमकुआँ), पटना विशेष, पटना पश्चिमी, पूर्णियाँ, सहरसा, समस्तीपुर और सीवान।

चूँकि विभाग ने सूचनाओं की तिर्यक जाँच हेतु कोई अनुदेश निर्गत नहीं किया था, निर्धारण प्राधिकारी उन मामलों में छिपाव का पता नहीं लगा सके, जहाँ लेखापरीक्षा निष्कर्ष स्व-निर्धारित/संवीक्षित रिटर्न पर आधारित थे, जबकि छः मामलों में जहाँ कर निर्धारित थे, निर्धारण प्राधिकारी छिपाव का पता नहीं लगा सके। इसके परिणामस्वरूप ₹ 84.22 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 123.20 करोड़ के कर तथा ₹ 10.82 करोड़ के आरोप्य ब्याज का अवनिर्धारण हुआ (परिशिष्ट-X)। उदाहरणस्वरूप कुछ मामले नीचे दिये गये हैं:

(₹लाख में)

क्र० सं०	अंचल का नाम व्यवसायियों की संख्या	कर निर्धारण की अवधि	वास्तविक क्रय लेखापित	वास्तविक बिक्री लेखापित	छिपाव की राशि	कर अर्थदण्ड	ब्याज	कुल
1	पाटलीपुत्रा 5	2006-07, 2007-08, 2008-09	5,305.83 4,528.68	1,79,866.54 1,23,825.05	56,818.64	2,518.92 7,556.75	968.38	11,044.05
2	पटना विशेष 2	2006-07, 2007-08, 2008-09	25,124.29 2,4361.13	—	763.15	95.39 286.18	43.27	424.84
3	पुणियाँ 1	2007-08	5,285.66 4,776.96	—	508.71	20.35 61.05	7.33	88.72
4	हाजीपुर 1	2007-08	—	3,234.50 2,910.50	324.00	12.96 38.88	5.44	57.28
5	पटना पश्चिम 1	2008-09	—	408.62 70.65	337.97	16.97 50.90	5.34	73.21

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने तीन³⁰ अंचलों में निबंधित आठ व्यवसायियों के मामलों को स्वीकार किया तथा ₹ 76.67 करोड़ का माँग सृजित किया। पाटलिपुत्रा अंचल के एक मामले में निर्धारण प्राधिकारी ने कहा कि क्रय/प्राप्तियों का छिपाव नहीं किया गया क्योंकि व्यवसायी ने संशोधित रिटर्न दाखिल किया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यवसायी को संशोधन हेतु विशेष रूप से उल्लेखित नियत तिथि की समाप्ति के बाद रिटर्न को संशोधन करने का अधिकार नहीं था एवं निर्धारण प्राधिकारी द्वारा संशोधित रिटर्न स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। पाटलिपुत्रा अंचल के एक अन्य मामले में निर्धारण प्राधिकारी ने मामले को आंशिक रूप से स्वीकार किया एवं ₹ 20.42 करोड़ के बदले केवल ₹ 3.41 करोड़ का माँग सृजित किया तथा शेष राशि के लिए कहा कि व्यवसायी ने ₹ 27.95 करोड़ का प्रपत्र डी-X के परमितों को निरस्त किया था। निर्धारण प्राधिकारी द्वारा डी-X के निरस्तीकरण की स्वीकृति अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था, जैसाकि व्यवसायी ने पूर्व में प्रपत्र भी0आर0- IX में डी-X की उपयोगिता विवरणी को दाखिल किया था एवं इसे रिटर्न के साथ प्रस्तुत किया था तथा अधिनियम के तहत भी0आर0- IX के संशोधन का कोई प्रावधान नहीं था। लखीसराय अंचल के एक मामले में निर्धारण प्राधिकारी ने कहा कि क्रय में अन्तर प्लांट एवं मशीनरी से संबंधित था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि व्यवसायी के तुलन पत्र के अनुसार उस वर्ष के दौरान प्लांट एवं मशीनरी में उस प्रकार की कोई भी बढ़ोतरी नहीं किया गया था। हमलोग स्वीकृत मामलो में वसूली की स्थिति पर प्रतिवेदन एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2011)।

³⁰ हाजीपुर, पाटलीपुत्रा एवं पटना दक्षिणी।

2.5 कर का गलत दर लगाया जाना

सतरह³¹ वाणिज्यकर अंचल

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 (1) के प्रावधानों के तहत विहित प्राधिकारी लागू किये गये सही दर पर करों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से धारा 24 के उप धारा (1) एवं (3) के अन्तर्गत दाखिल प्रत्येक रिटर्न की समय सीमा के अन्दर तथा विहित तरीकों से संवीक्षा करेगा। बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31 (2) के प्रावधान के अंतर्गत विहित दर पर ब्याज एवं अर्थदण्ड आरोप्य है यदि भुगतये कर की राशि को कम करने के उद्देश्य से बिक्री का पूर्ण एवं सही ब्योरा देने में व्यवसायी विफल रहता है।

हमने मार्च 2010 एवं मार्च 2011 के बीच पाया कि 32 व्यवसायियों (कर निर्धारित/संविक्षित: सात एवं स्व-कर निर्धारित: 25) ने वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान ₹ 259.16 करोड़ मूल्य के विभिन्न वस्तुओं की बिक्री पर एक से 12.5 प्रतिशत की सही दर के बदले शून्य से चार प्रतिशत का कम दर निर्धारित किया। संवीक्षा नहीं/त्रुटिपूर्ण किये जाने के कारण कर का गलत दर लगाये जाने का पता निर्धारण प्राधिकारियों को नहीं चला, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.21 करोड़ के ब्याज एवं ₹ 39.35 करोड़ के आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 57.68³² करोड़ का कर

कम आरोपित हुआ (परिशिष्ट-XI)। उदाहरणस्वरूप कुछ मामले नीचे दिये गये हैं:

(₹ लाख में)

क्र० सं०	अंचल का नाम व्यवसायी की सं०	अवधि	बिक्री मूल्य	सामग्री	आरोप्य कर/ आरोपित कर (प्रतिशत में)	कम आरोपण अर्थदण्ड	ब्याज	कुल
1.	पाटलीपुत्रा 4	2007-08, 2008-09	15715.43	रोड रोलर, डी0जी0 सेट, रेल रोड वाहन, गैंग कार, यूटिलिटी ट्रैक्ट वाहन, खाद्य पदार्थ, अलकतरा, बालू, टेलिफोन बिलिंग मशीन	12.5 / 4 1 / 0	458.47 1,375.40	162.03	1,995.89
2.	पटना विशेष 2	2006-07, 2007-08, 2008-09	5,449.11	गिट्टी, इराबगोल एवं च्यवनप्राश	12.5 / 4	463.17 1,389.52	176.87	2,029.57

³¹ आरा, भमुआ, भागलपुर, बिहारशरीफ, बक्सर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, नवादा, पाटलीपुत्रा, पटना सिटी पश्चिमी, पटना उत्तरी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, पटना पश्चिमी एवं केन्द्रीय, पूर्णियाँ, समस्तीपुर तथा सासाराम।

³² दृष्टान्तस्वरूप दो मामलों की गणना:
 (i) **मेसर्स तांतिया कन्सट्रक्सन (2007-08) -**
 वर्ष के दौरान गिट्टी की कुल खपत - ₹ 9,72,54,334.80, 1.4.2007 से 12.9.2007 तक दिनों की संख्या = 165 दिन, 12.9.2007 तक गिट्टी का अनुपातिक खपत = 9,72,54,334.80 X 165/365 = ₹ 4,39,64,288.33
 (ii) **मेसर्स श्याम सुनील कन्सट्रक्सन इंडिया लिमिटेड (2007-08) -**
 वर्ष के दौरान गिट्टी की कुल खपत - ₹ 13,00,61,729, 1.4.2007 से 12.9.2007 तक गिट्टी की अनुपातिक खपत = 13,00,61,729 X 165/365 = ₹ 5,87,95,028

3.	बक्सर 1	2006-07	326.55	केश तेल	12.5/4	23.39 70.18	14.39	107.96
4.	दरभंगा 2	2006-07, 2007-08	1,345.32	गिट्टी	12.5/4	114.35 343.06	56.19	513.59
5.	मुजफ्फरपुर पश्चिमी 1	2008-09	694.92	एक्सकेभेटर एवं अर्थ मूविंग मशीन	12.5/4	59.07 177.20	19.49	255.77

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद विभाग ने चार³³ अंचलों में निबंधित छः व्यवसायियों के मामलों को स्वीकार किया तथा ₹ 5.46 करोड़ का माँग सृजित किया। बक्सर अंचल के एक मामले में निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर दिया कि सामग्री (हिमगंगे केश तेल) एक आयुर्वेदिक औषधि है, अतः चार प्रतिशत के दर पर कर देय है। हम इस उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि यह सामग्री बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के अनुसूची III के क्रमांक 45 (दवा एवं औषधि) में से विशेष रूप से अलग कर दिया गया है तथा इस प्रकार, अधिसूचित सामग्री नहीं मानते हुए 12.5 प्रतिशत के दर पर कर देय है। हमलोगों को अन्य मामलों में सरकार/विभाग से उत्तर प्राप्त होना बाकी है (अक्टूबर 2011)।

2.6 इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति

आठ³⁴ वाणिज्यकर अंचल

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 16 प्रावधित करता है कि जब एक निबंधित व्यवसायी बिहार राज्य के अन्दर किसी अन्य निबंधित व्यवसायी से कर का भुगतान करने के पश्चात् कोई इनपुट का क्रय करता है, तब वह विहित तरीके से इनपुट के क्रेडिट का दावा करने के योग्य है, अगर मालों की बिक्री राज्य के अन्दर अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में की गई हो अथवा राज्य के अन्दर अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में बिक्री के लिए वस्तुओं (अनुसूची- IV के वस्तुओं के अलावे) के निर्माण में खपत की गई हो। पुनः अधिनियम की धारा 31 में इनपुट टैक्स क्रेडिट के अधिक/गलत दावों के लिए ब्याज की राशि के अलावे भुगतेय कर के तीन गुना के समतुल्य अर्थदण्ड लगाए जाने का भी प्रावधान है। केवल धारा 4 एवं 14 के तहत किया गया कर का भुगतान ही धारा 16 के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट हेतु दावे योग्य है तथा धारा 3 ए ए के तहत भुगतान किया गया कोई अन्य अतिरिक्त कर इनपुट टैक्स क्रेडिट हेतु अनुज्ञेय नहीं है। बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 12 के प्रावधानों के अनुसार पूंजीगत वस्तुयें जैसे कि मोटर वाहन, कार्यालय उपकरण, फर्नीचर, फिटिंग एवं साज-सज्जा पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुज्ञेय नहीं है।

हमलोगों ने अप्रैल 2010 एवं मार्च 2011 के बीच 12 व्यवसायियों के स्व-कर निर्धारित रिटर्न से पाया कि उन्होंने वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान अपने वार्षिक रिटर्न में ₹ 781.04 करोड़ के मालों के क्रय मूल्य पर ₹ 15.99 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया था। हालाँकि उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार व्यवसायी मालों के उस क्रय पर सिर्फ ₹ 6.53 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट

के लिए हकदार थे। इस प्रकार व्यवसायियों ने ₹ 9.45 करोड़ के अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया। इस अधिक दावे के लिए ₹ 27.77 करोड़ का अर्थदण्ड तथा

³³ मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्रा, पटना केन्द्रीय एवं पटना दक्षिणी।

³⁴ भभुआ, दानापुर, फारविसगंज, मुजफ्फरपुर पूर्वी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्रा, पटना दक्षिणी तथा पटना विशेष।

₹ 3.04 करोड़ के ब्याज संगणित किया गया है। कुल राजस्व प्रभाव ₹ 40.26 करोड़ था (परिशिष्ट-XII)।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने तीन³⁵ अंचलों में निबंधित तीन व्यवसायियों के मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 10.01 करोड़ का माँग सृजित किया। पुनः, मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल के एक व्यवसायी के मामले में सरकार ने जुलाई 2011 में कहा कि पूर्व में संगणक भूल के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत गणना हो गई थी तथा रिटर्न में क्रय एवं उसपर इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों को दर्शाते हुए एक नया परिशिष्ट भी प्रस्तुत किया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा के दौरान हमलोगों के संवीक्षा के समय अभिलेख पर रखे परिशिष्ट, जिसे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा जाँचा तथा प्रमाणित किया गया था, में कोई गलत गणना नहीं की गयी थी। उत्तर के साथ प्रस्तुत एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित किया हुआ नया परिशिष्ट भी यह दर्शाता है कि इसमें दिये गये विवरण व्यवसायी के अभिलेख पर पूर्व में रखे परिशिष्ट के विवरण से भिन्न थे। हमलोग स्वीकृत मामलों में वसूली की स्थिति पर प्रतिवेदन एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

2.7 कटौतियों की गलत अनुमति

अठारह³⁶ वाणिज्यकर अंचल

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 35 तथा बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 18 के तहत एक कार्य संवेदक, मजदूरी एवं किसी प्रकार के प्रभार जैसे कि मजदूरी एवं सेवाओं के मद में उप-संवेदक को किया गया भुगतान की राशि, योजना, रूपांकन एवं वास्तुकार फीस हेतु प्रभार, किराये पर प्राप्त किए गए मशीन एवं औजार के उपयोग हेतु प्रभार, उपभोग्य वस्तुओं की लागत, मजदूरी एवं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित स्थापना की लागत, मजदूरी एवं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित अन्य इसी प्रकार के खर्च, संवेदक द्वारा मजदूरी एवं सेवाओं की आपूर्ति पर अर्जित लाभ या बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 6 अथवा धारा 7 के तहत छूट प्राप्त मालों अथवा लेन-देनों पर, कटौती लिए जाने हेतु योग्य है।

हमलोगों ने अप्रैल 2010 एवं अप्रैल 2011 के बीच 35 व्यवसायियों (कार्य संवेदकों) (कर निर्धारित: सात, संवीक्षित: चार तथा स्व-कर निर्धारित: 24) के रिटर्न से पाया कि वर्ष 2005-06 तथा 2009-10 के बीच की अवधि के दौरान उन्होंने ₹ 341.04 करोड़ की कटौती का लाभ उन मदों पर प्राप्त किया जो अधिनियम के तहत कटौती योग्य नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.36 करोड़ (परिशिष्ट-XIII) के कर का कम आरोपण हुआ जिसकी संगणना

₹ 237.22 करोड़ के वस्तुओं के विभाजित मूल्य पर की गई।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने छः³⁷ अंचलों के नौ मामलों को स्वीकार किया एवं ₹ 6.05 करोड़ के माँग का सृजन किया तथा ₹ 65.58 लाख के लेखापरीक्षा अवलोकन के विरुद्ध मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल के एक मामले में केवल ₹ 28.13 लाख की वसूली की। गलत गणना एवं बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, की

³⁵ दानापुर, पटना विशेष तथा पाटलीपुत्रा।

³⁶ आरा, बगहा, बेगुसराय, बेतिया, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, मोतीहारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी, पाटलीपुत्रा, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, पटना (पश्चिमी एवं केन्द्रीय), पूर्णियाँ एवं सासाराम।

³⁷ बगहा, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर पूर्वी, पाटलीपुत्रा एवं पटना दक्षिणी।

धारा 35 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण माँग का सृजन कम हुआ। हमलोग शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

2.8 केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण

पटना विशेष वाणिज्यकर अंचल

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 6(2) के साथ पठित केन्द्रीय बिक्री कर नियमावली के नियम 8 (4), 12 (1) एवं 12 (4) के प्रावधानों के तहत यदि कोई व्यवसायी एक निबधित व्यवसायी को वस्तुओं के अंतरण/अनुवर्ती बिक्री के मद में छूट का दावा करता है तो उसे (i) उस व्यवसायी से, जिससे वस्तुओं का क्रय किया गया था, प्राप्त प्रपत्र 'ई-I/ई-II' में एक प्रमाण पत्र तथा (ii) उस व्यवसायी, जिसे वस्तुओं को बेचा गया था, द्वारा निर्गत प्रपत्र 'सी' में एक घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा।

पुनः, मई 2002 में संशोधित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत कम दर पर कर/कर की छूट लेने के समय मालों की अंतर्राज्यीय बिक्री के मामले में प्रपत्र 'सी' प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 8 (2) प्रावधित करता है कि विहित घोषणा प्रपत्र के प्रस्तुत नहीं किये जाने के मामले में राज्य में बिक्री कर कानून के अर्न्तगत लागू दर ही कर का दर होगा।

हमलोगों ने फरवरी 2011 में पाया कि एक व्यवसायी (कर निर्धारित) ने वर्ष 2007-08 के दौरान ₹ 142.27 करोड़ के वस्तुओं के अंतरण/अनुवर्ती बिक्री के मद में छूट का दावा किया लेकिन ₹ 107.48 करोड़ के लिए घोषणा प्रपत्र 'सी' एवं 'ई-I' प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया तथा निर्धारण प्राधिकारी ने राज्य में लागू 12.5 प्रतिशत के बदले तीन प्रतिशत के दर पर कर का आरोपण किया। इसके

परिणामस्वरूप ₹ 5.21 करोड़ के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 15.42 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

मामले सरकार/विभाग को मई 2011 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

2.9 छूट की गलत अनुमति

पाटलीपुत्रा वाणिज्यकर अंचल

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 13 (2) के साथ पठित बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 10 तथा उनके अधीन निर्गत अधिसूचना के तहत अनुसूची IV के मालों की बिक्री पर कर बिहार में इनके बिक्री के प्रथम बिन्दु पर आरोपित किया जाएगा। बिहार में उन मालों की किसी भी अनुवर्ती बिक्री पर कर से छूट होगा, बशर्ते अनुवर्ती बिक्रेता प्रपत्र 'डी- III' (उस व्यवसायी द्वारा निर्गत जिससे माल खरीदा गया था) में एक घोषणा प्रस्तुत करता है कि राज्य में इन मालों पर कर, इनके बिक्री के प्रथम बिन्दु पर ही आरोपित किया जा चुका है।

हमलोगों ने दिसम्बर 2009 में पाया कि एक व्यवसायी (कर निर्धारित) ने बिक्री के अनुवर्ती स्तर पर अनुसूची IV के मालों की बिक्री के मद में ₹ 17.18 करोड़ के छूट का दावा किया तथा इसे निर्धारण पदाधिकारी द्वारा मार्च 2008 में व्यवसायी का कर निर्धारण करते समय बिना प्रपत्र 'डी- III' में

घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत किये, छूट की अनुमति दिया गया। इस प्रकार छूट की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 7.04 करोड़ के कर का कम आरोपण किया गया। इसके अलावे 1.5 प्रतिशत प्रति माह के दर पर ₹ 2.43 करोड़ का ब्याज भी आरोप्य था।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद निर्धारण पदाधिकारी ने आदेश को संशोधित किया तथा दिसम्बर 2010 में ₹ 7.04 करोड़ का माँग सृजित किया। वसूली पर प्रतिवेदन हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2011)।

2.10 किराया प्रभार पर कर का आरोपण नहीं किया जाना

पटना विशेष वाणिज्यकर अंचल

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 2 (जेड सी) प्रावधित करता है कि बिक्री का अर्थ मालों के रूप में किसी भी सम्पत्ति के हस्तांतरण से है, जिसमें नगद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रयोजन हेतु किसी भी उद्देश्य से किसी भी मालों के उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण भी शामिल है।

हमलोगों ने फरवरी 2011 में पाया कि एक व्यवसायी (स्व-कर निर्धारित) ने वर्ष 2005-06 से 2008-09 के दौरान विद्युत मीटर, सर्विस लाईन तथा ट्रांसफार्मर से संबंधित ₹ 43.92 करोड़ का किराया प्रभार प्राप्त किया

था। हालाँकि व्यवसायी ने किराया प्रभार के विरुद्ध कर को स्वीकार नहीं किया था, यद्यपि यह उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार बिक्री में शामिल योग्य था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.49 करोड़ के कर का आरोपण नहीं हुआ। इसके अलावे 1.5 प्रतिशत प्रति माह के दर पर ₹ 3.09 करोड़ का ब्याज भी आरोप्य था।

मामले सरकार/विभाग को मई 2011 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2011)।

2.11 रिवर्स क्रेडिट की संगणना कम किया जाना

सात³⁸ वाणिज्यकर अंचल

बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 15 एवं 16 के तहत एक विनिर्माता व्यवसायी रिवर्स क्रेडिट लेगा, जब वह अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के अलावे किसी इनपुट से उसके द्वारा विनिर्मित वस्तुओं का अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण करेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि, जिसके लिए व्यवसायी हकदार है, की संगणना क्रयों पर भुगतान किए गए इनपुट टैक्स की राशि में से रिवर्स क्रेडिट को घटाने के बाद की जाएगी।

हमलोगों ने मार्च 2010 एवं फरवरी 2011 के बीच नौ व्यवसायियों (कर निर्धारित: 1, संविक्षित: 3 तथा स्व-कर निर्धारित: 5) के रिटर्न से पाया कि उन्होंने वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान ₹ 67.77 करोड़ के कर योग्य

मालों का अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण किया। इन मालों के लिए इनपुट भी राज्य में उन पर कर भुगतान के उपरान्त राज्य के अन्दर क्रय की गई थी, जिसके लिए व्यवसायी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया था। यद्यपि व्यवसायी को रिवर्स क्रेडिट की गणना करना था तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट की कुल राशि से इसे घटाना आवश्यक था, व्यवसायी द्वारा ₹ 91.82 लाख के रिवर्स क्रेडिट की गणना कम किया गया था। यहाँ तक कि चार कर निर्धारित/संविक्षित मामलों में भी निर्धारण प्राधिकारी इस चूक का

³⁸ बेगुसराय, गोपालगंज, पाटलीपुत्रा, पटना सिटी पश्चिमी, पटना उत्तरी, पटना दक्षिणी एवं पटना विशेष।

पता नहीं लगाये। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.75 करोड़ के आरोप्य अर्थदण्ड तथा ₹ 33.39 लाख के ब्याज सहित ₹ 4.01 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति दी गयी।

हमलों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने दो अंचलों (पाटलीपुत्रा एवं पटना विशेष) के दो व्यवसायियों से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया तथा ₹ 46.34 लाख के माँग का सृजन किया। हमलोग स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2011)।

2.12 कर की रियायती दर की गलत अनुमति

आठ³⁹ वाणिज्यकर अंचल

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8(5) के तहत बिहार सरकार ने अक्टूबर 2006 में एक अधिसूचना निर्गत कर लघु एवं मध्यम उद्योगों द्वारा विनिर्मित मालों की अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की दर एक प्रतिशत निर्धारित किया। पुनः, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2006 में प्लान्ट एवं मशीनरी में विनिवेश के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। इस लाभ का उपभोग करनेवाले व्यवसायी को प्रपत्र 'सी' या प्रपत्र 'डी' (1 अप्रैल 2007 से पूर्व), जैसा भी मामला हो, में घोषणा प्रस्तुत करना था।

2.12.1 हमलों ने अगस्त 2010 एवं अप्रैल 2011 के बीच पाया कि सात⁴⁰ अंचलों में निबंधित नौ व्यवसायी (स्व-कर निर्धारित: 8, तथा कर निर्धारित: 1) वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान प्लान्ट एवं मशीनरी में निवेश की विहित मापदण्ड⁴¹ के अनुसार लघु या मध्यम उद्योग के श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते थे, परन्तु उन्होंने ₹ 13.67 करोड़ के अंतर्राज्यीय बिक्री पर एक

प्रतिशत के दर पर कर के रियायती दर का लाभ लिया। त्रुटिपूर्ण संवीक्षा/ संवीक्षा नहीं किये जाने के कारण निर्धारण प्राधिकारी कर के रियायती दर के गलत उपभोग किये जाने का पता लगाने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.16 लाख के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 31.15 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

2.12.2 हमलों ने अगस्त 2010 एवं फरवरी 2011 के बीच गया तथा मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचलों के तीन व्यवसायियों के स्व-कर निर्धारित रिटर्न से पाया कि उन लोगों ने वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान रेलवे को ₹ 14.66 करोड़ के मालों की बिक्री पर एक तथा तीन प्रतिशत के बीच रियायती दर का लाभ का उपभोग किया। चूँकि रेलवे एक सरकारी विभाग था तथा प्रपत्र 'डी' के आधार पर रियायती दर पर बिक्री को 1 अप्रैल 2007 के प्रभाव से वापस ले लिया गया था, अतः किसी भी सरकारी विभाग को की गई बिक्री, रियायती दर हेतु योग्य नहीं था। इस प्रकार कर के रियायती दरों के गलत दावे के परिणामस्वरूप ₹ 15.42 लाख के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 54.21 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

³⁹ आरा, फारबिसगंज, गया, हाजीपुर, किशनगंज, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना विशेष एवं पूर्णियाँ।

⁴⁰ आरा, फारबिसगंज, गया, हाजीपुर, किशनगंज, पटना विशेष एवं पूर्णियाँ।

⁴¹ प्लान्ट एवं मशीनरी में विनिवेश सूक्ष्म उद्योग: ₹ 25 लाख से अधिक नहीं हो; लघु उद्योग: ₹ 25 लाख से अधिक परन्तु ₹ पाँच करोड़ से कम; एवं मध्यम उद्योग: ₹ पाँच करोड़ से अधिक परन्तु ₹ 10 करोड़ से कम।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने फारबिसगंज अंचल के एक व्यवसायी से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 1.54 लाख के माँग का सृजन किया। हमलोग स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2011)।

2.13 स्वीकृत कर के विलम्ब से भुगतान हेतु ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना

छः⁴² वाणिज्यकर अंचल

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के तहत, प्रत्येक व्यवसायी प्रत्येक माह से संबंधित भुगतेय कर का भुगतान आगामी माह के पन्द्रहवें दिन या उसके पहले भुगतान करेगा, जिसमें विफल रहने पर व्यवसायी देय राशि पर, भुगतेय होने की तिथि से इसके भुगतान की तिथि तक 1.5 प्रतिशत प्रति माह के दर पर ब्याज का भुगतान करने हेतु दायी होगा।

धारा 25 (1) के प्रावधानों के तहत विहित प्राधिकारी, समय से भीतर तथा विहित तरीकों से उसके साक्ष्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से धारा 24 के उप धारा (1) एवं (3) के तहत जैसा कि प्रावधित है, जमा किये गये प्रत्येक रिटर्न का संवीक्षा करेगा, जैसा कि कर तथा भुगतेय ब्याज के भुगतान के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।

2.13.1 हमलोगों ने नवम्बर 2009 तथा फरवरी 2011 के बीच पाया कि छः व्यवसायियों (स्व-कर निर्धारित: चार, संविक्षित: एक तथा कर निर्धारित: एक) ने वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान एक दिन से लेकर 508 दिनों के विलम्ब से अपने स्वीकृत कर का भुगतान किया था। निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 22.81 लाख के ब्याज का आरोपण नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 22.81 लाख के ब्याज की राशि का आरोपण नहीं हुआ।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने दरभंगा अंचल से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 3.58 लाख के माँग का सृजन किया। वसूली पर प्रतिवेदन हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2011)।

2.13.2 हमलोगों ने जून एवं अगस्त 2010 के बीच पाया कि दो अंचलों (गोपालगंज एवं सहरसा) में निबंधित दो व्यवसायियों (स्व-कर निर्धारित) ने वर्ष 2007-08 से 2008-09 के दौरान ₹ 25.63 लाख के स्वीकृत कर का कम भुगतान किया था। यद्यपि निर्धारण प्राधिकारियों को रिटर्न की संवीक्षा तथा कर के भुगतान के साक्ष्य को देखना एवं तदनुसार व्यवसायी को माँग पत्र निर्गत करना चाहिए था, परन्तु लेखापरीक्षा की तिथि तक कोई भी संवीक्षा नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.36 लाख के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 31.99 लाख के स्वीकृत कर के कम भुगतान का पता नहीं लगा।

मामले सरकार/विभाग को मई 2011 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2011)।

⁴² बेगूसराय, दरभंगा, गया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर पश्चिमी एवं सहरसा।

2.14 निर्यात बिक्री की अनियमित छूट

पाटलीपुत्रा तथा सहरसा वाणिज्यकर अंचल

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 35 के साथ पठित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 5 के तहत भारतीय क्षेत्र से बाहर मालों के निर्यात के दौरान मालों की बिक्री पर कोई कर भुगतेय नहीं होगा। वाणिज्यकर आयुक्त, बिहार द्वारा 1986 में निर्गत परिपत्र, जिसकी पुनरावृत्ति 1991 में की गयी थी, के अनुसार छूट का दावा उचित दस्तावेजी साक्ष्य, जैसे, निर्यात विपत्र द्वारा समर्थित होना आवश्यक है।

हमलोगों ने जनवरी एवं जून 2010 के बीच पाया कि दो व्यवसायियों (स्व-कर निर्धारित) को वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान भारतीय क्षेत्र से बाहर निर्यात के दौरान बिना दस्तावेजी साक्ष्य के ₹ 6.71 करोड़ के मूल्य की मालों की बिक्री पर कर के आरोपण से छूट की स्वीकृति दी गयी थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.24 लाख के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 53.47 लाख के कर का आरोपण नहीं हुआ।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने पाटलीपुत्रा अंचल

से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 22.62 लाख का माँग सृजित किया। शेष अंचल का उत्तर तथा स्वीकृत मामलों में वसूली पर प्रतिवेदन हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2011)।

2.15 ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना

पटना विशेष तथा पटना (पश्चिमी एवं केन्द्रीय) वाणिज्यकर अंचल

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 39 (4) के प्रावधानों के तहत यदि विहित प्राधिकारी को पता लगता है कि कोई भी व्यवसायी अपने आवर्त का पूर्ण अथवा किसी भाग का कर योग्य नहीं होने का गलत दावा किया है एवं तदोपरान्त उसके द्वारा भुगतेय कर की राशि से कम का भुगतान किया गया है तब वह व्यवसायी किसी भी कार्यवाही के तहत निर्धारित कर की राशि के अतिरिक्त कर का भुगतेय होने कि तिथि से पूर्व में स्वीकृत राशि तथा अंतिम रूप से निर्धारित कर की अन्तर की राशि पर प्रत्येक कैलेन्डर माह या उसके किसी भाग के लिए 15 प्रतिशत के दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करेगा।

हमलोगों ने अप्रैल 2010 तथा जनवरी 2011 के बीच पाया कि दो व्यवसायियों (कर निर्धारित) ने वर्ष 2006-07 के दौरान ₹ 52.18 लाख का कर स्वीकार किया था। जबकि निर्धारण प्राधिकारी ने मार्च तथा अगस्त 2009 में कर निर्धारण पूरा करते समय ₹ 92.71 लाख के कर का आरोपण किया, किन्तु ₹ 40.53 लाख के

निर्धारित कर की अन्तर राशि पर कोई भी ब्याज का आरोपण नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 24.02 लाख के ब्याज का कम आरोपण हुआ।

मामले सरकार/विभाग को मई 2011 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2011)।

2.16 मूल्यवर्द्धित कर की अधिक प्रतिपूर्ति

दानापुर तथा गया वाणिज्यकर अंचल

बिहार औद्योगिक नीति, 2006 की कंडिका 2 (ix) के अनुसार, 1 अप्रैल 2006 के पूर्व कार्यशील उद्योगों को सरकारी खाता में उनके द्वारा किये गये जमा मूल्यवर्द्धित कर का 25 प्रतिशत का प्रतिपूर्ति लेना था। पुनः औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की कंडिका 4 तथा उद्योग विभाग के पत्र सं0 2609 दिनांक 11 नवंबर 2006 प्रावधित करता है कि उपरोक्त औद्योगिक ईकाईयाँ, जिसने विस्तारण/परिवर्तन/आधुनिकीकरण किया हो, वे अपने बड़े हुए उत्पादन पर उनके द्वारा सरकारी खाता में जमा किये गये मूल्यवर्द्धित कर का 80 प्रतिशत के दर पर, इस प्रकार के प्रतिपूर्ति लेने हेतु हकदार होंगे। केन्द्रीय बिक्री कर या प्रवेश कर जमा के विरुद्ध कोई भी प्रतिपूर्ति नहीं दिया जाना था।

बिहार स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश (वहाँ खपत, उपभोग अथवा बिक्री हेतु) अधिनियम के प्रावधान के तहत अनुसूचित मालों का एक आयातक, इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने हेतु दायी है तथा आयातित अनुसूचित मालों की बिक्री अथवा इस प्रकार के आयातित मालों से निर्मित वस्तुओं की बिक्री के कारण बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत उसपर कर का दायित्व है, तब बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत उसका कर दायित्व, उस हद तक इस अधिनियम के अन्तर्गत कम कर दिया जायेगा।

₹ 44.84 लाख संगणित होती थी तथा बड़े हुए उत्पादन पर भुगतान किये गये मूल्यवर्द्धित कर की राशि ₹ 37.96 लाख होती थी तथा इस प्रकार प्रतिपूर्ति की कुल राशि, जिसके लिए व्यवसायी हकदार था, ₹ 41.58 लाख होती थी। हमलोगों ने इसे मूल स्थापित क्षमता तथा विस्तारण के उपरान्त स्थापित क्षमता (उद्योग विभाग, बिहार सरकार के वेबसाईट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार) के अनुपातिक विभाजन के आधार पर गणना किया। इस प्रकार व्यवसायी को प्रतिपूर्ति के रूप में ₹ 24.66 लाख का अधिक राशि भुगतान किया गया।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने मई 2011 में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 20.90 लाख का माँग सृजित किया। हमलोग वसूली एवं आगे के उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2011)।

2.16.2 गया वाणिज्यकर अंचल में हमलोगों ने पाया कि एक व्यवसायी (संवीक्षित) ने वर्ष 2008-09 के दौरान ₹ 1.32 करोड़ के मूल्यवर्द्धित कर के जमा के विरुद्ध ₹ 33.01 लाख का प्रतिपूर्ति पाया। वर्ष के दौरान व्यवसायी ने अपने कर दायित्व से ₹ 98.79 लाख के प्रवेश कर का समायोजन किया। उसमें से ₹ 60.81 लाख के प्रवेश कर भुगतान का केन्द्रीय बिक्री कर दायित्व से तथा ₹ 37.98 लाख का मूल्यवर्द्धित कर दायित्व से समायोजन किया गया था। उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, प्रवेश कर के पूरे राशि का समायोजन मूल्यवर्द्धित कर दायित्व से किया जाना था। इस प्रकार, मूल्यवर्द्धित कर दायित्व से ₹ 60.81 लाख के प्रवेश कर का समायोजन नहीं किये

2.16.1 हमलोगों ने सितम्बर 2010 में दानापुर वाणिज्यकर अंचल में पाया कि आयरण एवं स्टील के एक विनिर्माता (स्व-कर निर्धारित) ने वर्ष 2007-08 से 2009-10 की अवधि (तीसरे तिमाही तक) के लिए ₹ 82.80 लाख के मूल्यवर्द्धित कर जमा के विरुद्ध ₹ 66.24 लाख का प्रतिपूर्ति पाया। इस प्रकार, व्यवसायी ने कुल उत्पादन पर भुगतान किये गये मूल्यवर्द्धित कर के पूरे राशि का 80 प्रतिशत के दर पर प्रतिपूर्ति पाया। मूल उत्पादन पर भुगतान किये गये मूल्यवर्द्धित कर की राशि

जाने से व्यवसायी देय से अधिक वापसी लिये जाने की मंशा से मूल्यवर्द्धित कर के भुगतेय राशि को उसी राशि तक वृद्धि कर दिया। इस प्रकार, प्रवेश कर के गलत समायोजन के परिणामस्वरूप ₹ 60.81 लाख से मूल्यवर्द्धित कर के भुगतान की वृद्धि हुई तथा ₹ 15.20 लाख (₹ 60.81 लाख का 25 प्रतिशत) के अनुवर्ती अदेय प्रतिपूर्ति की गयी।

मामले सरकार/विभाग को मई 2011 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2011)।

2.17 आस्थगन का गलत दावा किया जाना

भागलपुर वाणिज्यकर अंचल

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 96 (3) (ख) तथा बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 57 प्रावधित करता है कि कोई भी व्यवसायी जिसे बिहार वित्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट दिया गया था तथा जो इस अधिनियम के लागू होने की तिथि पर पूरे हकदारी का लाभ नहीं लिये थे तो इस अधिनियम के तहत उन्हें कर दायित्व के आस्थगन हेतु विकल्प लेने के लिए अनुमति दिया जायेगा, बशर्ते की वे हकदारी की शर्तों को पूरा करें।

हमलोगों ने मई 2010 में पाया कि यद्यपि अधिनियम, केवल मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत भुगतेय कर का आस्थगन प्रावधित करता है, एक व्यवसायी (स्व-कर निर्धारित)

ने वर्ष 2008-09 के दौरान केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत ₹ 4.55 लाख के भुगतेय कर के आस्थगन का लाभ लिया था। इसके परिणामस्वरूप आरोप्य ब्याज सहित ₹ 5.44 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 6.08 लाख का माँग सृजित किया। वसूली पर प्रतिवेदन प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2011)।

2.18 क्रय कर का आरोपण नहीं किया जाना

सासाराम वाणिज्यकर अंचल

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यवसायी जो वैसे माल का क्रय करता है जिस पर कोई बिक्री कर भुगतेय नहीं है तथा बिक्री के लिए अन्य सामग्रियों के विनिर्माण में खपत करता है या अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान बिक्री अथवा राज्य में बिक्री के अलावे अन्य तरीकों से उस माल का निपटारा करता है तो उस माल के क्रय मूल्य पर उस दर से कर देना होगा जिस दर पर उन मालों के विक्रय मूल्य पर कर आरोप्य है।

हमलोगों ने मार्च 2011 में पाया कि ब्रान (भूसी) तेल एवं तेल रहित ब्रान केक के एक विनिर्माता (स्व-कर निर्धारित) ने अनिबंधित व्यवसायियों से राज्य के अन्दर ₹ 6.56 करोड़ के करदेय (पाँच प्रतिशत के दर पर) माल (राइस ब्रान) का क्रय किया था तथा वर्ष 2008-09 के दौरान ₹ 1.95 करोड़ के तेल रहित ब्रान केक (कर मुक्त सामग्री) के निर्माण में आंशिक रूप से खपत किया था। उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के

अनुसार इस पर क्रय कर दिया जाना था, परन्तु व्यवसायी ने क्रय कर का भुगतान नहीं

किया था जिसके परिणामस्वरूप तेल रहित केक की बिक्री के आधार पर आनुपातिक संगणित ₹ 5.81 लाख के क्रय कर का आरोपण नहीं किया गया।

मामले सरकार/विभाग को मई 2011 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

2.19 कर का अधिक संग्रहण

बेगुसराय तथा भभुआ वाणिज्यकर अंचल

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 43 (3) के प्रावधानों के तहत कोई भी निबंधित व्यवसायी अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति से कोई भी राशि, भुगतेय कर की राशि से अधिक का संग्रहण नहीं करेगा। उल्लंघन के मामले में प्रावधान के विरुद्ध संग्रहित राशि की दुगुनी राशि के बराबर, इस प्रकार अधिक संग्रहित कर की राशि की जब्ती के अतिरिक्त, अर्थदण्ड के रूप में आरोप्य है।

हमलोगों ने फरवरी एवं मार्च 2011 के बीच पाया कि यद्यपि दो व्यवसायियों (एक कर निर्धारित तथा एक स्व-कर निर्धारित) ने वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान अपने कर दायित्व से ₹ 1.70 लाख की अधिक कर राशि का संग्रह किया

था, इसके लिए निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अर्थदण्ड के आरोपण हेतु कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.11 लाख के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ तथा तथा अधिक संग्रहित कर की राशि जब्त नहीं की गई।

मामले सरकार/विभाग को मई 2011 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

2.20 मूल्यवर्द्धित कर के भुगतान के विरुद्ध प्रवेश कर का गलत समायोजन

छः⁴³ वाणिज्यकर अंचल

बिहार प्रवेश कर अधिनियम, 1993 की धारा 4 (क) के तहत अगर कोई व्यवसायी बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने हेतु दायी है, आयातित अनुसूचित मालों की बिक्री अथवा ऐसे आयातित अनुसूचित मालों से विनिर्मित वस्तुओं की बिक्री के कारण उसपर बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दर पर कर का भुगतान की देयता बनती है, तब उपरोक्त अधिनियम के तहत उसका कर दायित्व प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान किये गये कर की सीमा तक कम कर दिया जायेगा।

विनिर्माता के मामले में सिर्फ लघु, मध्यम एवं रुग्ण औद्योगिक इकाईयों को ही कर दायित्व में कमी किये जाने की स्वीकृति दी जायेगी। पुनः आयातित अनुसूचित मालों से विनिर्मित किसी वस्तु की बिक्री बिहार राज्य अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में अथवा भारतीय क्षेत्र से बाहर निर्यात किये जाने के क्रम में किये जाने के मामले में कर दायित्व को घटाने के दावे को समानुपातिक रूप से कम कर दी जायेगी।

पुनः मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 39 (4) के तहत अवनिर्धारित राशि पर 1.5 प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज भी आरोप्य है।

हमलोगों ने सितम्बर 2010 तथा मार्च 2011 के बीच पाया कि 11 व्यवसायियों (एक कर निर्धारित, एक संविक्षित एवं नौ स्व-कर निर्धारित) ने वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान ₹ 33.92 करोड़ के प्रवेश कर का भुगतान किया तथा उनके देय मूल्यवर्द्धित कर की करदेयता से ₹ 33.77 करोड़ के प्रवेश कर समायोजन का दावा किया/अनुमति दिया गया। हालाँकि हमलोगों की संवीक्षा से यह प्रकटित हुआ कि व्यवसायी केवल ₹ 27.92 करोड़ के

प्रवेश कर के समायोजन के लिए ही हकदार थे। इस प्रकार व्यवसायियों को ₹ 5.85 करोड़ के प्रवेश कर के समायोजन की गलत अनुमति दी गयी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.99 करोड़ के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 7.84 करोड़ के अधिक प्रवेश कर का समायोजन, भुगतेय मूल्यवर्द्धित कर के विरुद्ध किया गया (परिशिष्ट-XIV)।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने चार⁴⁴ अंचलों के सात व्यवसायियों से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 5.41 करोड़ का माँग सृजित किया। हमलोग स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2011)।

⁴³ दानापुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्रा, पटना विशेष एवं सासाराम।
⁴⁴ दानापुर, हाजीपुर, पाटलीपुत्रा एवं पटना विशेष।

ख: प्रवेश कर

2.21 आयात मूल्य के छिपाव के कारण प्रवेश कर का कम आरोपण

छः⁴⁵ वाणिज्यकर अंचल

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31(2) के साथ पठित बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के तहत यदि विहित प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि अधिनियम के अन्तर्गत किसी कर निर्धारण, मालों की बिक्री अथवा क्रय से संबंधित कोई कर का अवनिर्धारण हुआ है अथवा कर निर्धारण से वंचित रह गया है तब विहित प्राधिकारी ऐसे व्यवसायी द्वारा देय कर का चार वर्षों के भीतर कर निर्धारण अथवा पुनर्निर्धारण करेगा। विक्रय अथवा क्रय अथवा इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूर्ण एवं सही ब्योरा देने में व्यवसायी द्वारा जानबूझ कर गलती किए जाने की स्थिति में विहित प्राधिकारी भुगतये ब्याज की राशि के अलावे छूटे हुए कर निर्धारण पर कर की राशि का तीन गुणा के समतुल्य अर्थदण्ड आरोपित करेगा। आरोपित अर्थदण्ड छूटे हुए आवर्त पर कर की राशि के अतिरिक्त होगा।

हमने पाया कि सरकार/विभाग ने व्यवसायी द्वारा रिटर्न में घोषित आवर्त का तिर्यक जाँच अन्य अभिलेखों, यथा रोड परमिट की उपयोगिता प्रमाणपत्र, घोषणा प्रपत्रों तथा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ-साथ बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत दाखिल रिटर्न के साथ, करने की कोई प्रणाली विहित नहीं की।

हमलोगों ने तेरह व्यवसायियों (कर निर्धारित: दो एवं स्व-कर निर्धारित: 11) द्वारा दाखिल रिटर्न के साथ रोड परमिट की उपयोगिता, घोषणा प्रपत्रों, क्रय विवरणियों, व्यापार एवं विनिर्माण खातों इत्यादि का तिर्यक जाँच मार्च 2010 एवं मार्च 2011 के बीच किया। तिर्यक जाँच के दौरान हमने पाया कि वे अपने रिटर्न में ₹ 1,352.38 करोड़ के अनुसूचित मालों का आयात दिखलाया था जब कि वास्तविक आयात ₹ 2,166.79 करोड़ का था, जैसाकि घोषणा प्रपत्र 'सी' एवं 'ई

टी-V' में दर्शाया गया था और इस प्रकार व्यवसायियों ने 2007-08 से 2009-10 के दौरान ₹ 814. 41 करोड़ के अनुसूचित मालों के आयात/क्रय का छिपाव किया। निर्धारण प्राधिकारी या तो रिटर्न की संवीक्षा नहीं किये अथवा दो मामलों में, जो कि कर-निर्धारित थे, छिपाव का पता नहीं लगाये। जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा की तिथि तक आरोप्य अर्थदण्ड ₹ 354.55 करोड़ एवं ब्याज ₹ 39.30 करोड़ सहित ₹ 512.04 करोड़ के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ (परिशिष्ट XV)। दृष्टांतस्वरूप कुछ मामले निम्न सारणी में दिया गया है :

(₹ लाख में)

क्र० सं०	अंचल का नाम व्यवसायियों की संख्या	कर निर्धारण का अवधि	वास्तविक आयात किया गया लेखापित	छिपाव की राशि	आरोप्य प्रवेश कर अर्थदण्ड	ब्याज	कुल
1	पाटलीपुत्रा 2	2007-08	3,717.57 1,655.02	2,062.55	152.29 456.87	75.38	684.55
2	पटना विशेष 3	2007-08, 2008-09	94,726.89 21,268.19	78,458.70	11,600.73 34,802.19	3,829.96	50,232.88
3	पूर्णियाँ 1	2007-08	144.18 43.58	100.60	8.05 24.15	3.50	35.69
4	सासाराम 1	2007-08, 2008-09	2,209.05 2,034.32	174.73	13.98 41.93	6.43	62.34

⁴⁵ आरा, नवादा, पाटलीपुत्रा, पटना विशेष, पूर्णियाँ एवं सासाराम।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने तीन⁴⁶ अंचलो के चार व्यवसायियों के मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया तथा ₹ 14.37 करोड़ हेतु माँग सृजित किया। इनमें से पटना विशेष एवं सासाराम अंचल के एक-एक मामले में ₹ 9.38 लाख की वसूली की। हमलोग स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

2.22 कर का गलत दर लगाया जाना

नौ⁴⁷ वाणिज्यकर अंचल

बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के तहत अनुसूचित मालों के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर उन वस्तुओं के आयात मूल्य पर उस दर से, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा राजकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया हो तथा जो 20 प्रतिशत से अधिक न हो, कर का आरोपण एवं संग्रहण किया जाएगा, बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न अनुसूचित मालों एवं भिन्न-भिन्न स्थानीय क्षेत्रों हेतु विभिन्न दर विनिर्दिष्ट किया गया हो। पुनः बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31 (2) के साथ पठित प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के तहत छूटे हुए कर निर्धारण की राशि की तिगुना अर्थदण्ड एवं अवनिर्धारित राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर पर ब्याज भी आरोप्य है।

2.22.1 हमलोगों ने मई 2010 एवं जनवरी 2011 के बीच पाया कि चार⁴⁸ अंचलो के सात व्यवसायियों (कर निर्धारित : चार एवं संवीक्षित : तीन) ने वर्ष 2007-09 के दौरान ₹ 33.05 करोड़ के अनुसूचित वस्तुओं का आयात किया एवं विहित दर से कम दर पर प्रवेश कर स्वीकार किया। जुलाई 2008 एवं अगस्त 2010 के बीच कर निर्धारण/संवीक्षा करने के समय इन चूकों का निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा पता नहीं लगा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.14 करोड़ के अर्थदण्ड एवं ₹ 72.45 लाख के ब्याज सहित ₹ 7.58 करोड़ के प्रवेश

कर का अवनिर्धारण हुआ।

2.22.2 अप्रैल 2010 एवं मार्च 2011 के बीच हमने पाया कि सात⁴⁹ अंचलो के 13 स्व-कर निर्धारित व्यवसायियों ने वर्ष 2007-10 के दौरान ₹ 246.75 करोड़ के अनुसूचित वस्तुओं का आयात किया एवं अपने रिटर्न में विहित दर से कम दर पर प्रवेश कर स्वीकार करते हुए कर निर्धारित किया। यद्यपि निर्धारण प्राधिकारियों को निर्धारित समयावधि में रिटर्न की संवीक्षा तथा कर के सही दर लगाये जाने की जाँच करनी थी, लेकिन यह किसी भी मामले में नहीं किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप आरोप्य ₹ 28.02 करोड़ के अर्थदण्ड तथा ₹ 3.02 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 40.38 करोड़ के प्रवेश कर का अवनिर्धारण हुआ।

उपरोक्त सभी मामलों में कर के गलत दर लगाये जाने के परिणामस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड ₹ 33.16 करोड़ तथा ब्याज ₹ 3.75 करोड़ सहित ₹ 47.96 करोड़ के प्रवेश कर का अवनिर्धारण हुआ (परिशिष्ट— XVI)। दृष्टांतस्वरूप कुछ मामले नीचे दिये गये हैं:

⁴⁶ पाटलीपुत्रा, पटना विशेष एवं सासाराम।

⁴⁷ आरा, दरभंगा, जमुई, किशनगंज, मधुबनी, पाटलीपुत्रा, पटना सिटी पश्चिमी, पटना विशेष एवं सासाराम।

⁴⁸ दरभंगा, जमुई, मधुबनी एवं पाटलीपुत्रा।

⁴⁹ आरा, जमुई, किशनगंज, पाटलीपुत्रा, पटना सिटी पश्चिमी, पटना विशेष एवं सासाराम।

क्र० सं०	अंचल का नाम व्यवसायियों की संख्या	वर्ष	आयात मूल्य	वस्तु का नाम	कर का दर आरोप्य / आरोपित (प्रतिशत में)	कम आरोपण अर्थदण्ड	ब्याज	कुल
1	पाटलीपुत्रा (कर निर्धारित) 1	2007-08 2008-09	1,926.13	विद्युत सामग्रियाँ	8/4	77.05 231.14	34.95	343.13
2	दरभंगा 1	2007-08	549.94	तम्बाकू उत्पाद	16/5	60.49 181.48	23.59	265.56
3	पटना विशेष 1	2008-09	14,590.07	तम्बाकू उत्पाद	16/12.5	510.65 1,531.96	168.52	2,211.13
4	सासाराम 1	2007-08	850.08	विद्युत सामग्रियाँ	8/4 8/0	47.10 141.31	24.73	213.12
5	पाटलीपुत्रा (स्व-कर निर्धारित) 5	2007-08 2008-09 2009-10	8,687.03	विद्युत सामग्रियाँ	8/4 8/0	346.48 1,039.44	97.42	1,483.34

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने दो अंचलों (पाटलीपुत्रा और सासाराम) के छह व्यवसायियों से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकनो को स्वीकार किया तथा ₹ 2.42 करोड़ हेतु माँग सृजित किया। इनमें सासाराम एवं पाटलीपुत्रा अंचल के एक-एक मामले में ₹ 66.46 लाख की वसूली की। स्वीकृत मामलों में वसूली तथा अन्य मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

2.23 निबंधन नहीं किए जाने के कारण प्रवेश कर एवं अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

पाँच⁵⁰ वाणिज्यकर अंचल

बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 5 के साथ पठित बिहार प्रवेश कर नियमावली के नियम 3 के प्रावधानों के तहत अनुसूचित वस्तुओं के प्रत्येक व्यवसायी को कर के भुगतान हेतु दायी होने के सात दिनों के अंदर अपने को इस अधिनियम के अन्तर्गत निबंधन करा लेना होगा।

पुनः, बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 28 के प्रावधानों के तहत यदि विहित प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि कोई व्यवसायी कर का भुगतान करने हेतु दायी था और निबंधन के लिए आवेदन करने में जानबूझकर विफल रहा, तब वे स्वविवेक से देय कर की राशि का निर्धारण करेंगे तथा वे निर्देश देंगे कि व्यवसायी निर्धारित कर की राशि के अतिरिक्त, प्रत्येक चूक दिवस के लिए एक सौ रुपये की राशि अथवा निर्धारित कर की राशि के समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, का भुगतान अर्थदण्ड के रूप में करेगा।

हमलोगों ने अप्रैल 2010 तथा अप्रैल 2011 के बीच पाया कि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत आठ व्यवसायियों (एक संवीक्षित तथा सात स्व-कर निर्धारित) ने वर्ष 2007-08 से 2009-10 की अवधि के दौरान ₹ 31.32 करोड़ मूल्य के विभिन्न अनुसूचित वस्तुओं का आयात किया था। हालाँकि बिहार प्रवेश कर अधिनियम के तहत उन्होंने अपना निबंधन नहीं कराया था, जबकि

⁵⁰ मधेपुरा, पाटलीपुत्रा, पटना (दक्षिणी एवं कदमकुआँ), पटना विशेष एवं पूणियाँ।

वे ऐसा करने हेतु दायी थे। कर निर्धारण प्राधिकारी अनिबंधन के तथ्यों का पता लगाने में विफल रहे, जबकि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत रिटर्न की संवीक्षा किये जाने के समय कर निर्धारण प्राधिकारियों के पास, निबंधन हेतु उनके दायित्वों से संबंधित सूचनायें, उपलब्ध थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.61 करोड़ के अधिकतम आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 3.22 करोड़ के प्रवेश कर का आरोपण नहीं हुआ।

हमलोगों के इंगित किये जाने के बाद सरकार/विभाग ने दो अंचलों (पाटलीपुत्रा एवं पटना विशेष) के दो व्यवसायियों से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया तथा ₹ 59.13 लाख की माँग सृजित की। स्वीकार्य मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2011)।

2.24 प्रवेश कर पर ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना

दरभंगा एवं हाजीपुर वाणिज्यकर अंचल

बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के तहत यदि कोई व्यवसायी नियत तिथि (अर्थात् अगले माह के 15 तारीख अथवा उससे पहले) तक अपने रिटर्न के अनुसार भुगतेय कर की राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तब वह कर के भुगतेय होने की तिथि से भुगतान किये जाने की तिथि तक देय राशि का 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर पर ब्याज का भुगतान करने हेतु दायी होगा।

हमलोगों ने जून एवं अगस्त 2010 के बीच पाया कि यद्यपि दो व्यवसायियों (स्व-कर निर्धारित) ने वर्ष 2008-09 के दौरान प्रवेश कर का भुगतान 14 से 350 दिनों के विलम्ब से किया, लेकिन कर निर्धारण प्राधिकारी विलम्ब से जमा किये गये कर पर ब्याज का आरोपण नहीं किये। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.33 लाख के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ जैसाकि निम्न सारणी में वर्णित है:

(₹ लाख में)

क्र० सं०	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम टीन	वर्ष	विलम्ब (दिनों में)	प्रति माह 1.5 प्रतिशत की दर पर आरोप्य ब्याज
1	दरभंगा	मे० दुर्गा ट्रेडिंग 10384489231	2008-09	14 एवं 315 दिनों के बीच	3.07
2	हाजीपुर	मे० जैन इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड 10293197293	2008-09	167 एवं 350 दिनों के बीच	5.26
कुल					8.33

मामले सरकार/विभाग को मई 2011 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2011)।